

# Uttar Pradesh

## Summary

- **Nutrition:**  
Double ration to children affected and infected with HIV/AIDS.
- **Antodaya Anna Yojana:**  
Extended the benefit of AAY (Food Grains) under targeted Public Distribution to people living with HIV in subsidized price.
- **Free Blood and Blood Product Component:**  
Free blood and blood product to people living with HIV.
- **Free treatment (Baseline):**  
Free baseline test, laboratory investigations required for diagnosis and management of severe clinical conditions.
- **MNREGA:**  
Priority in MNREGA job card to people living with HIV.
- **Treatment without discrimination:**  
Treatment without discrimination against People living with HIV.
- **Legal Aid:**  
Provision of legal aid to people living with HIV.
- **Widow Pension:**  
Provision of financial assistance to widow of PLHIVs.
- **Financial support in case of marriage/illness:**  
Provision of financial assistance to people in need under Shadi/bimari Anudaan Yojana.
- **Aam Aadmi Bima Yojana:**  
Provision of different Bima Yojana available in the state.
- **Right to Free Education**  
Provision of free education under RTE Act to all children including children infected and affected with HIV.

सदाकान्त

आई.ए.एस.  
प्रमुख सचिव

अर्द्धशा0प0सं0-456/60-2-2012-2/1(35)/09

समाज कल्याण, डा0 अम्बेडकर ग्राम स0 विकास  
महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,

लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च 2012

प्रिय महोदय,

कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2012 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित वृद्धों को डबल राशन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन करने के लिए स्टाफ मीटिंग में भी सभी फील्ड आफिसर्स को जानकारी दे दी गई है और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। निर्गत शासनादेश की प्रति संलग्नक कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

सप्रेम,

भवदीय,

  
(सदाकान्त) 1/3/12
श्री एस0पी0 गोयल,  
परियोजना निदेशक,उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी,  
ए-ब्लाक, चतुर्थ तल, पिकप भवन,  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

OD (Mainstreaming)

5/3/2012

  
5/3/12

संख्या-1019/पांच-1-2011

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छ0प्र0
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,  
जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय,  
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 19 अप्रैल, 2011

विषय: रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/जिला चिकित्सालयों में स्थापित रक्तकोषों एवं नाकों, भारत सरकार द्वारा सहायित रक्तकोषों द्वारा रक्त एवं रक्त अवयव हेतु लिए जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में शासनादेश संख्या-438/पांच-1-08 दिनांक 18.04.2008 तथा इस परिप्रेक्ष्य में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3117/पांच-1-08, दिनांक 07.11.2008 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 18.04.2008 के प्रसार 1 से 3 में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधान को अवकमिता करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. प्रदेश के राजकीय/नाको सहायित रक्तकोषों में रक्त एवं रक्त अवयव हेतु निम्नलिखित दरों के अनुसार सर्विस चार्ज लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

रक्त/रक्त अवयव	दर (रु०)
(क) होल ब्लड (Whole Blood)	400/-प्रति यूनिट
(ख) पैकड रेड ब्लड सेल्स (Packed Red Blood Cells)	400/-प्रति यूनिट
(ग) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा (Fresh Frozen Plasma)	200/-प्रति यूनिट
(घ) रैंडम डोनर प्लेटलेट कन्संट्रेट (Random Donor Platelet Concentrate)	200/-प्रति यूनिट
(ङ) क्रायोप्रेसिपिटेड (Cryoprecipitate)	100/-प्रति यूनिट

2. निम्नलिखित श्रेणियों के रोगियों के लिए रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान करते हुए उनको राजकीय/नाको सहायित रक्तकोषों से रक्त एवं रक्त अवयव निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) बी.पी.एल कार्ड धारक।

(ख) धैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी, जिन्हें जीवन-पर्यन्त रक्त की आवश्यकता होती है।

(ग) एच.आई.वी./एड्स कीड़ित रोगी।

- (घ) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलायें।

(ङ) लावारिस/कैदी/विकलांग व्यक्ति (सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधा/चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के विवेकाधीन)।

कमरा- 2

-2-

3. रक्तदाताओं को रक्तदान के पश्चात् सूक्ष्म जलपान उपलब्ध कराया जाए जिस हेतु अधिकतम धनराशि ₹20/- प्रति रक्तदाता के अनुसार, रक्त/रक्त अवयव हेतु प्राप्त सर्विस चार्ज से व्यय किए जा सकते हैं।
  4. शासनादेश दिनांक 18.04.2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.11.2008 के शेष प्रावधान मथावत रहेंगे।
- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय,  
16.04.11  
(मणि प्रसाद मिश्र)  
विशेष सचिव।

संख्या: 1019(1)/पांच-1-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा, अनुभाग-1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
4. परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
5. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ०प्र०।
6. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ०प्र०।
7. औषधि नियन्त्रक, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त प्रभारी, रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
10. समस्त ए०आर०टी० केन्द्र।
11. विशेष सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
(आर०एस० परिहार)  
अनु सचिव।

कुमार अरविन्द सिंह देव  
आईओएसओ  
प्रमुख सचिव



संस्थापक पत्रांक: एड्स नियन्त्रण/सोसाइटी/आईओएसओ  
अर्द्धशताब्दी पत्रांक: 46240-98286  
दूरभाष : (0522) 2616648 (कार्यालय)  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
घ.सं. सं० 306-309 तृतीय तल विकास  
भवन, राधिकालय, लखनऊ

दिनांक: 22 मार्च, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रदेश के समस्त एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों का मेडिकल कॉलेजों एवं जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की श्रृंखला में Baseline Test (प्रारम्भिक जाँच) कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, जिसके उपरान्त ही एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की श्रेणी तय की जाती है कि उसे किस प्रकार का उपचार प्रदत्त किया जाना है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक दशा इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उपरोक्त उपचार हेतु व्यय की जाने वाली समस्त राशि का वहन वह स्वयं कर सकें। अतः ऐसे में उनके उपचार में होने वाली असुविधा/बाधा उनके शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है एवं यदा-कदा समुचित उपचार प्राप्त न कर पाने की अवस्था में उनका देहान्त भी हो जाता है।

इसी क्रम में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित शासनदेश संख्या-1094/71-1-200-जी-13/2000, दिनांक 12 जुलाई, 2000 (छाया प्रति संलग्न) के विन्दु-2 में व्यवस्था है कि “विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण केंसर नियन्त्रण/एड्स नियन्त्रण/मलेरिया एवं फाइलेरिया नियन्त्रण तथा घेघा नियन्त्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित चिकित्सालयों द्वारा भेजे जाएँ उनसे संक्रमित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा” किन्तु इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों द्वारा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक जाँच (Base Line Test) हेतु धनराशि ली जा रही है।

आपके संज्ञान हेतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ए.आर.टी. केन्द्र वाराणसी जनपद में आई.एम.एस. बी.एच.यू.; गोरखपुर जनपद में बी.आर.डी.मेडिकल कॉलेज एवं मेरठ जनपद में एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को Free Base Line

Test की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु शेष जनपदों कानपुर (जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज), लखनऊ (छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय), इलाहाबाद (एम.एल.एन.मेडिकल कॉलेज), आगरा (एस.एन.मेडिकल कॉलेज), झाँसी (एम.एल.वी.मेडिकल कॉलेज), अलीगढ़ (जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज) और इटावा (उ.प्र.ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई) के मेडिकल कॉलेजों में Free Base Line Test की सुविधा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की जाँच/उपचार हेतु उपलब्ध नहीं है।

आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त पूर्व प्रेषित शासनादेश का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को जाँच/उपचार हेतु निःशुल्क Free Base Line Test की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

22-3-10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

संलग्न सूची के अनुसार



- [illegible]

4(1) 4.1.1.2





निष्पन्न, विहिततरीय परीक्षण, गणनादि या दस्तावेजों में प्रत्येक ओर  
 वर्ष के प्रारम्भ से इस प्रमाण का यदि अनुपलब्ध एक सप्ताह का वापसी  
 और जिस विहिततरीय परीक्षण पत्र पर हस्ताक्षर/सहस्रताउक्त आदि में  
 प्रस्तुत बाजार दरों में अंतर कमो अंतर है तो उक्त परीक्षण को  
 दरों में पत्रा आचार्यक मंजूरता प्राप्त होने के बाद प्रत्येक से विवा वापसी  
 एनोपेथिक मेडिकल आगे की जाने समस्त विहिततरीय एवं संस्थाओं में  
 करत वार्ड/ग्राहक वार्ड के लोगियों में विभिन्न विहिततरीय  
 मंत्रालय/मुद्रिकाओं हेतु निम्न जाने जाने गुण का विवरण निम्नानुसार  
 निम्नस्त है :-

[illegible]

संग्रह:- कंठोष्णानुसार ।

8877 :- 11/11-1-2010-05/01/10

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनाय एवं आचार्य सारंगदास से प्रेरित:-

११ गङ्गाभाकार इन्द्रादि प्रमाणेभ्यः उत्तरं प्रदेश उदाहरणम् ।  
१२ प्रधनार्थं मेडिकल कानून, लखनऊ/बानसपुर, गौ. सुर. उदाहरणम्. मेरु,  
शंखी, जगता ।

131

...  
...  
...

147

...  
...  
...  
...  
...

151

...  
...

161

...  
...  
...

...

...

...

...

292

संख्या- / 38-7-2009-एनआरईजीए/09

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,  
अनुसचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उ०प्र०, लखनऊ।

1409

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2432/38-7-09-एनआरईजीए/09, दिनांक: 24-09-2009 द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच०आई०वी० से संक्रमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिये जाने के साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-08-2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये एच०आई०वी० और एड्स की जानकारीयों से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जीव कार्डों पर अंकित किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० को निर्देशित किया जा चुका है।

2- इस संबंध में श्री एस०पी०गोयल, परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी गोमतीनगर के अर्द्धशा० पत्र दिनांक: 16-11-09 की छायाप्रति मय संलग्नक सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

( आर० पी० सिंह )  
अनुसचिव।

संख्या-3977(1)/38-7-2009 तददिनांक:-

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, ए ब्लॉक, चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक: 24-09-09 की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

( आर० पी० सिंह )  
अनुसचिव।

D:\NREGA-09\140900.doc

293

संख्या- 2432 / 38-7-2009-एनआरईजीए/09

8-9

प्रेषक,

4

श्रीकृष्ण,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स से संकमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-के-11021/1/08-नरेगा, दिनांक: 03-03-2009 के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निम्न कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:-

“भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच0आई0वी0 से संकमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिया जाय। साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-06-2009(प्रतिलिपि मय संलग्नक सहित) द्वारा उपलब्ध कराये गये एच0आई0वी0 और एड्स की जानकारीयों से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जॉब कार्डों पर अंकित किया जाय।”

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त अंकित निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

महोदय,

24/9  
( श्रीकृष्ण )  
प्रमुख सचिव।

o/c

प्रदीप शुक्ला

उत्तर प्रदेश  
स्वास्थ्य विभाग



उत्तर प्रदेश शासन/स्वास्थ्य विभाग/6111/Coordination  
1/11/12-10/12/15

उत्तर प्रदेश शासन 10/12/11-10/12/15

विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 10/12/15-10/12/15  
515, विभाग भवन, बल्लभपुर - 226001  
(फोन) 0522-2627029 10/12/15-10/12/15  
(फैक्स) 0522-2623449

दिनांक: 27 अप्रैल, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविधा है कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालनार्थ एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित राज्य एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की सफलता के प्रभावी आंकड़ों हेतु एच.आई.वी./एड्स रोगियों की सुरक्षा एवं देखभाल के साथ-साथ चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है; जिसे दृष्टिगत कर राष्ट्र एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम में Post Exposure Prophylaxis का प्राविधान रखा गया है; इसके अनुसार किसी एच.आई.वी./एड्स रोगी का उपचार करते समय यदि कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी के रक्त अथवा शारीरिक द्रव्य के सम्पर्क में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए Post Exposure Prophylaxis के अन्तर्गत उन्हें निःशुल्क एन्टीरेट्रोवायरल औषधि प्रदान किए जाने की सुविधा प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त Universal Precautions का सदुपयोग तथा अनुकरण कर बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जा सकता है; किन्तु विभिन्न जनपदों में प्रायः यह देखा/पाया जा रहा है कि या तो एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु मना कर दिया जा रहा है; या फिर उपचार प्रदत्त करने से पहले उन्हें अन्यत्र जनपदों के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों को स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र संख्या T-11020/29/1998/NACO(Admin ART) दिनांक 26 अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बिन्दु 10 तथा 11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि:-

बिन्दु 10: "All Doctors, nurses and hospital staff, whether in public sector or private sector shall treat PLHAs in a professional and humane manner, treating them always with dignity and care. No Doctor or nurse shall refuse to treat a PLHA on account of his/her positive status. In treating a PLHA, there shall be no discrimination or stigma whatsoever."

बिन्दु 11: "Doctors in the private sector, in particular, are directed to immediately familiarize themselves with the NACO's comprehensive protocol and policies with regard to care and treatment, which are available on NACO website."

*NACO approved ART regimen have proven to be cost effective, safe and PLHAs have shown good response to these regimen. The private practitioners should use these cost effective regimen in the first instance and other regimens should be prescribed only in case where these cannot be used for the reasons of toxicity/failure etc. The Medical Council of India and the Consumer Courts are to take a strict view of private practitioners who take advantage of exorbitant amounts. Irrational prescriptions using wrong dosages/wrong combinations shall be dealt with severely and appropriate action taken."*


उपर्युक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय एवं प्राइवेट चिकित्सकीय प्रबन्धन में तत्काल प्रभाव से बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का अपेक्षित उपचार (प्रसव सहित) दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें; यदि इस विषय पर किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विषय में मौखिक अथवा लिखित शिकायत पाई गई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त

भक्तदीप,  
  
 (प्रदीप शुक्ला)

कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या  
 समस्त मेडिकल कॉलेज  
 मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका  
 समस्त जनपद एवं जिला चिकित्सालय

प्रतिलिपि:- समस्त जिला अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार बिन्दु 11 के अनुपालन में अपने जनपद के समस्त प्राइवेट चिकित्सालय प्रबन्धन को निर्देशित करने हेतु।

  
 (प्रदीप शुक्ला)

# डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट देवरिया (उत्तर प्रदेश)

बार काउंसिल सम्बद्धता मूल सं-9/1983 नवीनीकरण सं-3/05 पंजीकरण सं0 01/08/2000

अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	सचिव
सुभाष चन्द्र राय (एडवोकेट) मो0- 9450668302	योगेन्द्र नाथ तिवारी (एडवोकेट) मो0- 9919364632	रामेश्वर तिवारी (एडवोकेट) मो0- 9450668526

## 1. उपाध्यक्ष

आद्या कुमार पाण्डेय  
एडवोकेट

## 2. उपाध्यक्ष

राजेश तिवारी  
एडवोकेट

## 3. कनिष्ठ उपाध्यक्ष

नोज कुमार राय  
एडवोकेट

## 4. कोषाध्यक्ष

अरुण कुमार उपाध्याय  
एडवोकेट

## 5. संयुक्त मंत्री

तरुण कुमार मणि  
एडवोकेट (प्रशासन)

## 6. संयुक्त मंत्री

रूपेश कुमार तिवारी  
एडवोकेट (पुस्तकालयाध्यक्ष)

## 7. संयुक्त मंत्री

विजय कुमार पाण्डेय  
वोकेट (पब्लिकेशन)

## 8. वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी

दयानिधि गुप्ता

लक्ष्मण मिश्रा

लालबाबू गुप्त

रविन्द्र मणि

श्रवण कुमार उपाध्याय

ठाकुर सुशील कुमार सिन्हा

## 9. कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी

राजेश तिवारी

अजय कुमार उपाध्याय

रजेश कुमार पाण्डेय

चन्द्रशेखर तिवारी

जयराम कुशावाहा

संजय सिंह

पत्रांक ...

दिनांक ... 13.07.09

दिनांक 19.03.2009 को मेनस्ट्रीमिंग आफ एच0आई0वी0 एड्स परियोजना के अन्तर्गत जो कार्यशाला बार एसोसिएशन देवरिया में सार्ड द्वारा आक्सफाम, यू0एन0डी0पी0 और यू0पी0 सेक्स के सहयोग से सम्पन्न की गयी थी। वह कार्यशाला बहुत ही सराहनीय थी। उपरोक्त कार्यशाला से प्रभावित होकर हम सब बार एसोसिएशन, देवरिया के सदस्यगण मिलकर ये निर्णय लिये है कि एच0आई0वी0 पाजिटिव व्यक्तियों से सम्बन्धित उनके हक एवं अधिकार हेतु जो भी मुकदमा आता है, उस मुकदमें को हम सब सदस्यगण बिना शुल्क कानूनी सहयोग देंगे और उसको प्राथमिकता के तौर पर निपटारा करावेंगे।

  
अध्यक्ष

बार एसोसिएशन देवरिया,  
"Bhaskar Chandra Rao"  
(Advocate)  
President  
Dist. Bar Association, Deoria



# डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-मऊ



(सत्र-2009-10)

अध्यक्ष  
ओमप्रकाश वर्मा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष  
गुलाब चन्द सोनकर

कनिष्ठ उपाध्यक्ष  
सुधीर कुमार श्रीवास्तव  
रईस अहमद

साधारण उपाध्यक्ष  
संजय कुमार सिंह

मंत्री  
ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी

सहमंत्री-प्रशासन  
कमलेंद्र प्रताप नारायण सिंह  
बदरुद्दीन आलम

सहमंत्री-लाइब्रेरी  
लक्ष्मण गुप्ता

कोषाध्यक्ष  
सरदार दीप नारायण सिंह

ऑडिटर  
सुरेश यादव

पत्रांक :

दिनांक : 81.02/09

दिनांक 21-03-2009 को मेनट्रैनिंग आफ रजिस्ट्रारों की इस परियोजना के अन्तर्गत जो कार्यशाला बार एसोसिएशन, जयपुर-मऊ में लॉन्चा सार्ज/ ऑक्सेस /यू. स्न. डी. पी. / यू. पी. सेक्स. द्वारा सम्पन्न की गयी थी वो कार्यशाला बहुत ही सराहनीय है। उपरोक्त कार्यशाला से हम सब मिलकर निर्णय लिए हैं कि कोर्ट भी रजिस्ट्रारों की पात्रिपक्षीय व्यक्ति मुकदमें से सम्बन्धित आता है तो उसका मुकदमा हम सब बार एसोसिएशन, मऊ के सदस्यगण बिना शुल्क के लड़ें और इसको प्राथमिकता के तौर पर प्रथम करीयता दें।





पंजीकृत संख्या : 443 1981-86

# डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा



अध्यक्ष :

पण्डित राम द्विवेदी  
मोबा 9412951536

महामंत्री :

हंस कुमार सिंह चौहान  
मोबा 9411603048

वरिष्ठ उपाध्यक्ष :

एन.ए.ए.ए.ए.ए.  
(संलग्नक संख्या)

उपाध्यक्ष :

भद्रकांत शर्मा  
विशाल शर्मा ललित

कनिष्ठ उपाध्यक्ष :

अनुराग कुमार पाण्डेय

कोषाध्यक्ष :

गणेश कुमार दुधे

संयुक्त मंत्री :

अनुराग कुमार पाण्डेय  
अभिषेक शर्मा  
राजीव कुमार पाण्डेय

वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी :

राजेश कुमार मिश्रा  
मोबा 9412951536  
सुभाष कुमार पाण्डेय  
9412951536  
राजेश बाबू पाण्डेय  
हंस कुमार चौहान

कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी :

अजय सिंह  
जितेंद्र सिंह मटोरेता  
लक्ष्मी शर्मा ललित  
निधील शर्मा  
अभिषेक शर्मा  
अनुराग कुमार  
श्रीमती शारदा शर्मा

पत्राचार तथ्या :

दिनांक : 17-8-09

संदर्भ :

UNDP/NACO द्वारा संचालित मेनस्ट्रीमिंग ऑफ HIV/AIDS परियोजना के तहत जिला अधिवक्ता संघ भवन इटावा पर HIV ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों के सम्बन्ध में व वाद संस्थापित करने हेतु अभिभाषक वर्युओं के साथ श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिबीजन महोदय की उपस्थिति में दिनांक 22.03.09 को जी कार्यशाला MRU Oxfam India व SARD दिल्ली/ इटावा के सहयोग से आयोजित की गयी थी। वह विधिक दृष्टिकोण से हम सभी के लिये बहुत उपयोगी व सराहनीय है।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के पश्चात् हम सभी अधिवक्तागणों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भी HIV ग्रसित व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वाद संस्थापित करने के उद्देश्य से आता है तो हम सब बार एसोसिएशन इटावा के सदस्यगण उस व्यक्ति की मुकदमा/पैरवी प्राथमिकता के साथ निःशुल्क करेंगे व वाद निस्तारण में वरीयता प्रदान करेंगे।

*Rachy Sharma*

राधेश्याम शर्मा  
एडवोकेट

अध्यक्ष

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा

*H.K. Singh*

हंस कुमार सिंह चौहान  
एडवोकेट

महामंत्री

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा

प्रदीप शुक्ला

आई.ए.एस.  
प्रमुख सचिव



उत्तर प्रदेश शासन/स्वास्थ्य/6111/Coordination  
10/11/2010

उत्तर प्रदेश शासन 10/12/10-10/328

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 10/333-10/1400  
516, विकास भवन, लखनऊ - 226001  
(फ़ोन) : 0522-2627029 10/1403-10/1429  
(फैक्स) : 0522-2625449

दिनांक: 27 अप्रैल, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालनार्थ एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित राज्य एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की सफलता के प्रभावी आंकलन हेतु एच.आई.वी./एड्स रोगियों की सुरक्षा एवं देखभाल के साथ-साथ चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है; जिसे दृष्टिगत कर राष्ट्र एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम में Post Exposure Prophylaxis का प्राविधान रखा गया है; इसके अनुसार किसी एच.आई.वी./एड्स रोगी का उपचार करते समय यदि कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी के रक्त अथवा शारीरिक द्रव्य के सम्पर्क में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए Post Exposure Prophylaxis के अन्तर्गत उन्हें निःशुल्क एन्टीरेट्रोवायरल औषधि प्रदान किए जाने की सुविधा प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त Universal Precautions का सदुपयोग तथा अनुकरण कर बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जा सकता है; किन्तु विभिन्न जनपदों में प्रायः यह देखा/पाया जा रहा है कि या तो एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु मना कर दिया जा रहा है; या फिर उपचार प्रदत्त करने से पहले उन्हें अन्यत्र जनपदों के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों को स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र संख्या T-11020/29/1998/NACO(Admin ART) दिनांक 26 अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बिन्दु 10 तथा 11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि:-

बिन्दु 10:- "All Doctors, nurses and hospital staff, whether in public sector or private sector shall treat PLHAs in a professional and humane manner, treating them always with dignity and care. No Doctor or nurse shall refuse to treat a PLHA on account of his/her positive status. In treating a PLHA, there shall be no discrimination or stigma whatsoever."

बिन्दु 11:- "Doctors in the private sector, in particular, are directed to immediately familiarize themselves with the NACO's comprehensive protocol and policies with regard to care and treatment, which are available on NACO website."

*NACO approved ART regimen have proven to be cost effective, safe and PLHAs have shown good response to these regimen. The private practitioners should use these cost effective regimen in the first instance and other regimens should be prescribed only in case where these cannot be used for the reasons of toxicity/failure etc. The Medical Council of India and the Consumer Courts are to take a strict view of private practitioners who take advantage of exorbitant amounts. Irrational prescriptions using wrong dosages/wrong combinations shall be dealt with severely and appropriate action taken."*

उपर्युक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय एवं प्राइवेट चिकित्सकीय प्रबन्धन में तत्काल प्रभाव से बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एडस से संक्रमित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का अपेक्षित उपचार (प्रसव सहित) दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें; यदि इस विषय पर किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विषय में मौखिक अथवा लिखित शिकायत पाई गई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त

भारतीय,  
(प्रदीप शुक्ला)

कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या  
समस्त मेडिकल कॉलेज  
मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका  
समस्त जनपद एवं जिला चिकित्सालय

प्रतिलिपि:- समस्त जिला अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार बिन्दु 11 के अनुपालन में अपने जनपद के समस्त प्राइवेट चिकित्सालय प्रबन्धन को निर्देशित करने हेतु।

(प्रदीप शुक्ला)



प्रेषक,

सुनील कुमार  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।



- (4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।
- (5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय -सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्षा हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

- (6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

- (7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त असहायित विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

## (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्त :-

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कम में निर्गत उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- (ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (बे0) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- (ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

**(3) मान्यता समिति :-**

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

- |   |            |
|---|------------|
| 1- सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) | अध्यक्ष    |
| 2- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी    | सदस्य सचिव |
| 3- जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी  | सदस्य,     |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

**(4) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्त:-**

**आवेदन की अर्हता**

शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-1 से 5 तक की कक्षायें)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-1 से 8 तक की कक्षायें)।

**(5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-**

(1)-निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।



निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तर-4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 2000/- तथा क्रमांक-3 पर अंकित प्रस्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क ₹0 3000/- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 10000/- (₹0 दस हजार मात्र) की एन0एस0सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से ब्लेज्ड होगी।

(3)- आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की आपत्तियाँ सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियाँ में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

#### (6) वित्तीय शर्तें

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹0 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) अचल सम्पत्ति।

#### टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा ₹0 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

#### (7) मान्यता

आवश्यकता:- (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-

(क) प्री-प्राइमरी तथा प्राइमरी	200 (07 कक्षाएँ)
(ख) प्राइमरी	150 (05 कक्षाएँ)
(ग) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल	275 (10 कक्षाएँ)
(घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल	225 (08 कक्षाएँ)

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

**(8) भौतिक संसाधन**

**(1) भवन**

- (क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।
- (ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चों कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्रों को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
- (ग) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।
- (घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ङ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (च) विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

**(2) क्रीड़ा स्थल**

खेलकूद के लिये यथा संभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

**विशेष :-**

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

- (3) **साज-सज्जा एवं उपकरण**  
विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बेंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।
- (4) **पुस्तकालय**  
प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।
- (5) **विज्ञान सामग्री**  
विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
- (6) **शिक्षण सामग्री**  
प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

**(9) मानव संसाधन**

**स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें**

- (क) प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
- (ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।
- (ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

#### शुल्क

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :-

- 1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विकास शुल्क, 4- बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6- विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8- क्रीड़ा शुल्क, 9- परीक्षा/मूल्यांकन, 10-विद्यालय समारोह/उत्सव, 11- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर / संगीत आदि।

#### नोट :-

- 1- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
- 2- मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3- विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

#### (10) शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लम्बित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु

कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

**(11) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-**

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

1.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	सितम्बर प्रथम सप्ताह
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	15 सितम्बर से 31 अक्टूबर
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	नवम्बर से दिसम्बर
5.	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।	जनवरी-फरवरी
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	मार्च
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

**(12) मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

**(13) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :-**

जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त

GORP

22/1

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (क)- विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।
- (ख)- निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय प्रबन्धतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (ग) समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

2002 ✓

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
21/5/13  
(सुनील कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

2013

आज्ञा से,  
( ममता श्रीवास्तव )  
संयुक्त सचिव।



(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

४२१

आज्ञा से,

४२१/०१५/१३  
(ममता श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट

प्रारूप-1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषण-सह-आवेदन  
(नियम-15 का उपनियम (1) देखिए)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

(जिला और संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

महोदय,

मैं एतद्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और.....(विद्यालय का नाम) को.....वर्ष 20.....विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रारूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नक :

भवदीय

स्थान :

तारीख :

7.	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के आयोजन के लिए किया जा रहा है	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

## घ. नामांकन प्रारूपित

	कक्षा	सेवान्वीतों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूँ-प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		

## ङ. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएँ

	कक्षा	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा		
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भंडार कक्ष-सह-प्राध्यापक कक्ष		
3.	रसोई-सह-भंडार		

## च. अन्य प्रसुविधाएँ

1.	क्या रानी प्रसुविधाओं तक बाधा रहित पहुँच प्राप्त है	
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेलकूद और क्रीड़ा उपकरण (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा <ul style="list-style-type: none"> <li>• पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)</li> <li>• पत्रिकाएँ/समाचार-पत्र</li> </ul>	
5.	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6.	स्वच्छता संबंधी दशाएँ <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) डब्ल्यू सी. और मूत्रालयों की किस्म</li> <li>(ii) बालकों के लिए पृथक् मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या</li> <li>(ii) बालिकाओं के लिए पृथक् मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या</li> </ul>	

## छ. अध्यापन कर्मचारिवृंद की विशेषावस्थाएँ

1.			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएँ (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2.	प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक् रूप से)		

प्राप्त  
ई-मेल

फोन  
फैक्स

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय  
(जिला/संघ/राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्या

तारीख

प्रबंधक

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदय,

आपके तारीख ..... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं ..... (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख ..... से तारीख ..... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ..... से कक्षा ..... तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसने किसी भी रूप से कक्षा 8 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता, ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :—

#### विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-ग्राह-भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।
- 10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
- 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रिकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन  
शिक्षा अनुभाग-5

संख्या : 25/6/79-5-2011-29/09

लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई 2011

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011

भाग-एक  
प्रारम्भिक

- |  |  |
|--|--|
| संक्षिप्त नाम,<br>विस्तार और<br>प्रारम्भ | 1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" कही जायेगी।<br><br>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।<br><br>(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस शर्त के अधीन प्रवृत्त रहेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त निधि अनवरत रूप से उपलब्ध करायी जाती रहेगी।        |
| परिभाषाएं                                | 2. (1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-<br><br>(क) "अधिनियम" का तात्पर्य "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" से है;<br><br>(ख) "आंगनबाड़ी" का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र से है; |

(ग) “नियत दिनांक” का तात्पर्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2010 से है;

(घ) “अध्याय”, “धारा” एवं “अनुसूची” का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, उसकी धारा एवं अनुसूची से है;

(ङ) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र से है;

(च) “पास-पड़ोस” का तात्पर्य नियम-4 में विनिर्दिष्ट आबादी क्षेत्र से है;

(छ) “शिष्य संचयी अभिलेख” का तात्पर्य व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालकों की प्रगति के अभिलेख से है;

(ज) “विद्यालय मानचित्रण” का तात्पर्य सामाजिक विभेदों और भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए विद्यालय की अवस्थिति के नियोजन से है;

(झ) “विनिर्दिष्ट प्रतिमान” का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों से है;

(ञ) “जिला शिक्षा अधिकारी” का तात्पर्य यथास्थिति बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।



## भाग-दो

### निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

विशेष प्रशिक्षण  
(धारा - 4)

3. (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर 6 वर्ष से अधिक आयु के विद्यालय कभी न गये अथवा विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों को चिह्नित करेगा, पड़ोसी विद्यालय में उन्हें आयु-संगत कक्षा में प्रवेश करायेगा, उनके सीखने के स्तर का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार यथापेक्षा उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थातः--

(क) विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से अभिकल्पित तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित आयु-संगत अधिगम सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षाएं संचालित करके या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में कक्षाएं संचालित करके प्रदान किया जायेगा;

(ग) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा या उक्त प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जायेगा;

(घ) विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के आवधिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम अनधिक दो वर्ष की अवधि तक वृद्धि की जा सकेगी।

(2) आयु-संगत कक्षा में प्रवेश पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा के अन्य बालकों के साथ शैक्षणिक और भावात्मक रूप से सफलता पूर्वक जुड़ने योग्य बनाने के लिए बालकों का अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा।

## भाग-तीन

### राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

- पास-पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएँ 4. (1) पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:-
- धारा- 6 (क) कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;
- (ख) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

**स्पष्टीकरण:-**इस नियम के प्रयोजनार्थ पद "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, यथास्थिति, धारा-10 या धारा-10 क के अन्तर्गत स्थापित समिति से है।

(2) ऐसे क्षेत्रों के बालकों के लिए जहाँ उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पड़ोस की परिधि के अन्तर्गत विद्यालय की व्यवस्था करना संभव न हो वहाँ राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबन्धों में शिथिलता प्रदान करते हुए पर्याप्त व्यवस्था करेगी, यथा निःशुल्क यातायात, आवासीय सुविधा आदि।

(3) स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत किसी पड़ोसी विद्यालय को चिह्नित करेगा जहाँ बालकों को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(4) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय जाने से रोकती हों, जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्वानुमोदन से स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय पहुँचने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने हेतु उनके लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण बालकों को विद्यालय पहुँचने में कोई बाधा न आये।

राज्य सरकार एवं  
स्थानीय प्राधिकारी  
के कर्तव्य

धारा-8 और 9

5. (1) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक प्रत्येक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और प्रत्येक वर्ष में एक बार वर्दी के लिए हकदार होगा;

परन्तु किसी निःशक्तता से ग्रस्त बालक को निःशुल्क विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:- धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये किसी बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क शिक्षा का हक दिलाने की जिम्मेदारी, क्रमशः धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय का होगा।

(2) पड़ोसी विद्यालयों के अवधारण और उनकी स्थापना के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) विद्यालय का मानचित्रण करेगा और दूरवर्ती क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तता से ग्रस्त बालकों, साधनहीन वर्ग के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों तथा धारा 4 में सन्दर्भित बालकों सहित समस्त बालकों का चिह्नांकन दिनांक 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाय।

(4) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षाओं की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाय।

स्थानीय प्राधिकारी 6.  
द्वारा बालकों के  
अभिलेखों का  
अनुरक्षण

((धारा-9 (घ))

(1) स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के समस्त बालकों का जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक का अभिलेख सर्वेक्षण के माध्यम से अनुरक्षित रखेगा।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक बालक का नामांकन, उपस्थिति, अधिगम सम्प्राप्ति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक बालक को एक अनन्य पहचान संख्या आवंटित की जायेगी।

(3) उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को-

(क) प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जायेगा;

(ख) सार्वजनिक रूप में पारदर्शिता पूर्वक अनुरक्षित किया जायेगा और स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अन्तर्गत निवास करने वाले प्रत्येक बालक के प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने को सुनिश्चित करने एवं उसका अनुश्रवण करने के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

(4) प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को विहित प्रपत्र में अनुरक्षित रखा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा :-

(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि और जन्मस्थान;

(ख) माता-पिता/अभिभावक का नाम, पता और व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र जहाँ (6 वर्ष की आयु तक) बालक रहा हो;

(घ) प्रारम्भिक विद्यालय जहाँ बालक ने प्रवेश लिया हो;

(ङ) बालक का वर्तमान पता;

(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा हो;

(छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत 6-14 वर्ष की आयु के किसी बालक की शिक्षा में व्यवधान होता है तो ऐसे व्यवधान का कारण;

(ज) क्या बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) के अर्थान्तर्गत कमजोर वर्ग का है;

(झ) क्या बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थान्तर्गत साधनहीन वर्ग का है;

(ञ) प्रजनन और कम जनसंख्या, आयु-संगत प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं अथवा आवासीय सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले बालकों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के अधीन के विद्यालयों में नामांकित समस्त बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हों।

(6) जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (4) में सन्दर्भित सूचना जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं अद्यतन रहे।

## भाग—चार

### विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व

कमजोर वर्ग एवं 7. साधनहीन वर्ग के बालकों का प्रवेश

(1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों को कक्षा में अन्य बालकों से अलग

((धारा-12 (1)  
(ग))

नहीं किया जायेगा और न ही अन्य बालकों के लिए संचालित कक्षाओं से अलग स्थान एवं समय पर उन बालकों की कक्षा संचालित की जायेगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों का हकों और सुविधाओं यथा पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय और सूचना संचार और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, पाठ्यचर्येत्तर क्रियाकलापों और खेलकूद के सम्बन्ध में किसी भी रूप में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट पड़ोसी विद्यालय की सीमायें या क्षेत्र धारा 12 के खण्ड (ग) के अनुसरण में किये गये प्रवेशों के लिए उपयोजित होंगे:

परन्तु धारा 12 (1) के खण्ड (ग) में सन्दर्भित बालकों के लिए स्थानों के अपेक्षित प्रतिशत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ विद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन सीमाओं को बढ़ा सकता है।

(4) स्थानीय प्राधिकरण (यथार्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के अधीन निजी एवं विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के समस्त बालकों की नामवार सूची एवं अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा  
प्रति बालक व्यय  
की प्रतिपूर्ति हेतु  
बालकों का प्रवेश

((धारा-12 (1)  
(ख) और (ग) एवं  
धारा-12 (2))

8. (1) धारा 12 (1) के खण्ड (ख) और (ग) में सन्दर्भित बालकों के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति से पूर्णतः पारदर्शी होगी। प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले ऐसे बालकों का विवरण विद्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें बालक का नाम, पता, लिंग, जाति, जन्मतिथि एवं पिता/माता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय एवं मासिक आय, बालक के कमजोर वर्ग या साधनहीन वर्ग के होने का विवरण सम्मिलित होगा। इस सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। कुल आवेदकों में से, समस्त बालकों, जिन्होंने प्रवेश हेतु आवेदन किया हो, किन्तु किसी कारणवश उनका प्रवेश न हुआ हो, को कारण सहित लिखित रूप में सूचित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रवेश प्रक्रिया का अनुसरण करना भी विद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त या नियंत्रित समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपनी निधियों से एवं केन्द्र सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय ऐसे सभी विद्यालयों में 30 सितम्बर को नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक उपगत किया गया व्यय होगा।

**स्पष्टीकरण:—**प्रति-बालक व्यय को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में सन्दर्भित प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करने वाला प्रत्येक विद्यालय अनन्य पहचान संख्या सहित बालकों की सूची और शिक्षा निदेशक, (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ-साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगा:

परन्तु जहाँ ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहाँ ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक सत्यापन के पश्चात देय प्रतिपूर्ति धनराशि को उपनियम (3) में सन्दर्भित खाते में अंतरित करेगा तथा उक्त सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा।

(6) यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस

प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दुगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि कलेक्टर द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूली जायेगी।

- आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज (धारा-14)
9. जब कभी जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बालक की आयु के प्रमाण के रूप में समझा जायेगा:

(क) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख;

(ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख;

(ग) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी;

(घ) माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा।

- विद्यालय में प्रवेश के लिए बढ़ायी गयी अवधि (धारा-15)
10. (1) प्रवेश की बढ़ायी गयी अवधि किसी विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह अर्थात् सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात 30 सितम्बर तक होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को किसी विद्यालय में बढ़ायी गयी अवधि के पश्चात प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए पात्र होगा/होगी।

- विद्यालय की मान्यता (धारा-18)
11. (1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों से भिन्न उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व स्थापित प्रत्येक विद्यालय, प्रपत्र-एक में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्वघोषणा करेगा, अर्थात् :-

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था



द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित है;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है;

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित हैं;

(घ) विद्यालय भवन या ढॉचागत संरचनायें या प्रांगण केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाते हैं;

(ङ.) विद्यालय राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है;

(च) विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा निदेशक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है जैसाकि विद्यालय की कार्यप्रणाली में मान्यता की शर्त की निरन्तर पूर्ति या विद्यालय के कार्य करने में कमियों के निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जायें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र-एक पर प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को, प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों का प्रपत्र-एक में स्वघोषणा पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्थलीय निरीक्षण संचालित करेगा जो उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों को पूरा करने का दावा करते हैं।

(4) उपनियम (3) में सन्दर्भित निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण आख्या, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक की जायेगी तथा प्रतिमानों, मानकों एवं शर्तों के अनुरूप पाये गये विद्यालयों को निरीक्षण के दिनांक से 60 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र-दो पर मान्यता प्रदान की जायेगी।

(5) उपनियम (1) में, उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप जो विद्यालय नहीं हैं उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और कमियों को उल्लिखित करते हुए अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जायेगी तथा उसको वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसे विद्यालय अगले दो वर्षों के भीतर किसी भी समय मान्यता की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(6) ऐसे विद्यालय, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् भी उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप न हों, कार्य करने से प्रविरत हो जायेंगे।

(7) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात की गई है, मान्यता के लिए अर्ह होने हेतु उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होगा।

(8) प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एक पंजी अनुरक्षित करेगा और ऐसे प्रत्येक विद्यालय को संख्या आवंटित करेगा।

विद्यालय की  
मान्यता का  
प्रत्याहरण

((धारा-18)(3))

12. (1) जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्नवत् कार्यवाही करेगा:—

(क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगा;

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय या निर्धारित समयवधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की समिति द्वारा

विद्यालय का निरीक्षण करायेगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा। समिति विद्यालय की सम्यक् जाँच कर, मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि से 20 दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। ऊपर सन्दर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का सम्यक् परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा:

परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट का यह प्राधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा लें।

(3) उपनियम (2) में सन्दर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्तुतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उक्त के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।

(4) राज्य के शिक्षा विभाग के विनिश्चय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता रद्द करने का आदेशपरक आदेश विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के भीतर पारित करेगा। मान्यता रद्द किये जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचालित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालय भी विनिर्दिष्ट होंगे, जिनमें मान्यता रद्द किये गये विद्यालयों के बालकों का प्रवेश किया जायेगा।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

## भाग—पाँच

### विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन एवं कार्य  
(धारा-21)

13. (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता-पिता अथवा संरक्षक होंगे:

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।

(3) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होंगे अर्थात:-

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग

के बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बालक का माता-पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है—

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ड) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

- (ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षिकी आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाये;
  - (घ) विद्यालय में आस-पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना;
  - (ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना;
  - (च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना;
  - (छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नंकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;
  - (ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिह्नंकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;
  - (झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना;
  - (ञ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।
- (9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं

उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायें और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी

(धारा-22)

14. (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी जिसकी उपयोगिता के रूप में तीन वार्षिक योजनायें होगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे अर्थात:-

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन;

(ख) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए कक्षा एक से पाँच तक तथा कक्षा छः से आठ तक के लिए अलग-अलग अतिरिक्त अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों सहित विषय अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या की आवश्यकता;

(ग) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्करों आदि की भौतिक आवश्यकता;

(घ) बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता सहित खण्ड (ख) एवं (ग) के सम्बन्ध में तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता और आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बालकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य वित्तीय आवश्यकता।

(4) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास उस वित्तीय वर्ष जिसमें उसे तैयार किया जाना हो, की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी।

#### भाग-छः

#### अध्यापक

अध्यापको की  
न्यूनतम शैक्षिक  
अर्हता

((धारा-23 (1))

15. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारा 2 खण्ड (द) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय पर लागू होगी।

न्यूनतम शैक्षिक  
अर्हता का  
शिथिलीकरण

((धारा-23 (2))

16. (1) धारा 2 खण्ड (द) में निर्दिष्ट राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु अनुसूची के मानकों के अनुसार राज्य सरकार अध्यापक आवश्यकता का आगणन करेगी।

(2) यदि उपनियम (1) के अनुसार आगणित संख्या में न्यूनतम विहित अर्हताधारी अध्यापक उपलब्ध न हों, तो राज्य सरकार विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन किये गये अनुरोध पर न्यूनतम अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद राज्य सरकार यथा आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(4) न्यूनतम अर्हताओं में शिथिलता, अधिनियम लागू होने से अधिकतम पाँच वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2015 तक ही होगी, इस अवधि में ही शिथिलीकरण की शर्तों के अधीन नियुक्त अध्यापकगण को नियम 15 के अधीन विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्जित करनी होगी।



(5) उपरोक्त उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अभाव में नियम 15 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने वाले किसी व्यक्ति को किसी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

न्यूनतम अर्हताओं  
का अर्जन

((धारा-23 (2))  
का परन्तुक

17. (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों अथवा विशिष्टीकृत विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक, जो अधिनियम लागू होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, द्वारा अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर ऐसी निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी से अध्यापक शिक्षा की क्षमता-वृद्धि एवं दूरस्थ माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण की अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करेगी। राज्य सरकार अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी।

(2) सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबन्धतंत्र ऐसे अध्यापकों, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें नहीं रखते हैं, को अधिनियम के प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ऐसी न्यूनतम अर्हताओं के योग्य बनायेगा।

अध्यापकों के वेतन  
एवं भत्ते तथा सेवा  
की शर्तें

((धारा-23 (3))

18. प्रत्येक प्रकार के विद्यालय के अध्यापकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें ऐसी सेवा नियमावली से शासित होंगी, जैसा कि उस विद्यालय के अध्यापकों के लिए लागू होती हैं।

अध्यापकों द्वारा  
निष्पादित किये  
जाने वाले कर्तव्य

((धारा-24 (1)  
(च))

19. (1) कोई अध्यापक :-

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध

समिति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगा, नियमित रूप से बालकों के कार्यनिष्पादन पर माता-पिता के साथ चर्चा करेगा;

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा;

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा;

(ङ) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जाँच तथा सतत मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित कर्तव्यों और धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, अध्यापक/अध्यापिका सौंपे गये निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी :-

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग करना;

(ख) पाठ्यचर्या की संरचना और पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में प्रतिभाग करना।

(ग) विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों की पहल में सहयोग करना।

(3) अध्यापकों का नियुक्ति प्राधिकारी अधिनियम की धारा 24 (1) में उल्लिखित कर्तव्यों और उपरिलिखित नियम 19 (1) एवं (2) में यथानिर्धारित दायित्व को सेवा शर्तों के रूप में अध्यापकों की सेवा नियमों में सम्मिलित करेगा। अध्यापकों के लिए पुरस्कारों और दण्डों के

साथ-साथ वृत्ति विकास का विनिश्चय करने में सेवा नियमावली में, नियम 22 (3क) एवं (3ख) के अधीन, विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों के परिणामों पर भी विचार किये जाने की व्यवस्था होगी।

अध्यापकों के  
शिकायत निवारण  
का तौर-तरीका

((धारा-24 (3))

20. अध्यापकों की शिकायत निवारण की प्रथम व्यवस्था धारा 21 के अधीन गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्तर पर होगी और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर होगी।

प्रत्येक विद्यालय में  
शिष्य-अध्यापक  
अनुपात बनाये  
रखना

(धारा-25)

21. (1) जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं स्थानीय प्राधिकारी को भी सूचित की जायेगी:

परन्तु ऐसी अधिसूचना के दो माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट उन विद्यालयों के अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा, जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक हो।

(2) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व स्वीकृत विनिर्दिष्ट शिष्य-अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा।

(3) शिष्य-अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय अथवा किसी गैर शैक्षणिक उद्देश्य, जो दसकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मंडल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्तव्यों से इतर हो, में सेवा हेतु नहीं लगाया जायेगा।

(4) यदि कोई अध्यापक निजी अध्यापन अथवा प्राइवेट ट्यूशन में लिप्त पाया गया तो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**भाग-सात**  
**पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किया जाना**

- शैक्षणिक प्राधिकारी 22. (1) धारा 29 के प्रयोजनार्थ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।
- (धारा-29)
- (2) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करते समय निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी :-
- (क) सुसंगत एवं आयु-संगत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक और अन्य सीखने की सामग्री का प्रतिपादन;
- (ख) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विकास; और
- (ग) सतत और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने हेतु दिशा-निर्देशों का तैयार किया जाना।
- (3) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, आन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के माध्यम से नियमित आधार पर समग्र रूप से विद्यालयीय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया अभिकल्पित एवं क्रियान्वित करेगी।
- (क) विद्यालयों के कार्य निष्पादन का स्वतन्त्र निर्धारण वर्ष में कम से कम एक बार विभागीय निर्धारण के माध्यम से और प्रत्येक दो वर्ष में अनिवार्य रूप से बाह्य अभिकरण द्वारा संचालित निर्धारण के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक स्वतन्त्र निर्धारण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उपयुक्त प्रश्न-बैंक निर्मित करेगा, जिसके आधार पर जनपदीय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

यादृच्छिक नमूना (रेण्डम) आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड का आकलन करेगा। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह तक जिलावार विकास खण्डवार प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) इस प्रयोजन हेतु बाह्य अभिकरण के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग के संकाय, विभिन्न शोध संस्थानों, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/बेसिक शिक्षा से सम्बद्ध गैर सरकारी संगठनों में से लिए जा सकेंगे। विस्तृत निर्देश-निबन्धन निर्धारित किये जायें और निर्धारण कार्य सौंपे जाने के छः माह के भीतर बाह्य अभिकरण द्वारा परिणाम प्रस्तुत किए जायें। प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय विद्यालय एवं विद्या निर्धारण प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

द्विवर्षीय बाह्य निर्धारण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, मानदण्ड निम्नवत् होंगे:

- छात्रों की विद्या प्राप्ति स्तर;
- कक्षा अध्यापन में पाठ्य पुस्तकों, अध्यापक संदर्शिका एवं अध्यापन विद्यार्जन सामग्री की उपलब्धता और उपयोग;
- छात्रों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य का अवसर;
- लेखन कार्य का अध्यापकों द्वारा नियमित शुद्धिकरण;
- अध्यापकों की विद्यालय में उपस्थिति की समयबद्धता एवं अध्यापन विद्यार्जन सम्पन्न कराने में नियमितता;
- नियमित आधार पर छात्रों के कार्य सम्पादन पर माता-पिता के साथ चर्चा;
- अध्यापकों की अध्यापन एवं कक्षा संचालन क्षमता का सम्प्रेक्षण;
- वार्षिक पाठ्यचर्या का प्रतिशत आच्छादन।

रिपोर्ट के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालय निर्धारण के परिणाम जिलावार अवरोही क्रम में राज्य सरकार, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को, अनुवर्ती सुसंगत कार्यवाही हेतु, प्रस्तुत किए जायेंगे और निर्धारण के विकास खण्डवार परिणाम, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को

उपचारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रदान करना
23. (1) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगा:

(धारा-30)

परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र पर आवंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित प्रमाणपत्र द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(3) प्रमाणपत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख शामिल होगा, साथ ही विहित पाठ्यक्रम अध्ययन के अतिरिक्त बालक के अन्य क्षेत्रों के क्रिया कलाओं में उपलब्धियाँ यथा संगीत, नृत्य, साहित्य, क्रीड़ा आदि भी विनिर्दिष्ट होंगी।

#### भाग-आठ

#### बाल अधिकार का संरक्षण

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन
24. (1) ऐसे समय तक जब तक राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन करती है, तब तक अन्तरिम प्राधिकारी के रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(धारा-31)

(2) शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा जिसने बाल अधिकारों के उन्नयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो; और

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में विख्यात, योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें एक महिला होगी-

(एक) शिक्षा;

(दो) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास;

(तीन) किशोर न्याय अथवा उपेक्षित या साधनहीन अथवा निःशक्तताग्रस्त बालकों की देखभाल;

(चार) बालश्रम उन्मूलन अथवा विपन्न बच्चों के साथ कार्य;

(पाँच) बाल मनोविज्ञान अथवा समाज शास्त्र; या

(छः) शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक प्रबन्धन।

(3) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2006 के निबन्धन और शर्तें उसी रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) पर भी लागू होंगे।

(4) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तत्काल बाद शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) के सभी अभिलेख और परिसम्पत्तियाँ उक्त आयोग को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) अपने कृत्यों के निष्पादन में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकते हैं।

(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथा स्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) में राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी, जो आयोग अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में सहायता कर सकेगा।

राज्य बाल  
अधिकार संरक्षण  
आयोग के समक्ष  
शिकायतें प्रस्तुत

25. (1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) द्वारा पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्प लाईन स्थापित की जायेगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज

करने की रीति  
(धारा-31)

करने के लिए मंच के रूप इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जायेगी, किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथार्थिती विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10-क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगरपालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

राज्य सलाहकार  
परिषद् का गठन  
एवं कृत्य  
(धारा-34)

26. (1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियमावली में आगे परिषद् कहा जायेगा) में एक अध्यक्ष एवं 14 सदस्य सम्मिलित होंगे;

(2) राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे;

(3) प्रारम्भिक शिक्षा एवं बाल विकास का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी :-

(क) कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं अल्प संख्यक वर्ग में से एक-एक होंगे;

(ख) कम से कम एक सदस्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;



(घ) एक सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा,

(ङ) एक सदस्य विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी ख्याति प्राप्त, गैर सरकारी संगठन में से होगा,

(च) सचिव, बेसिक शिक्षा, परिषद् का सदस्य संयोजक होगा एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा राज्य परियोजना, निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे:

परन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न पचास प्रतिशत सदस्य महिलाओं में से होंगे।

(4) परिषद् यथा अपेक्षित अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(5) बेसिक शिक्षा विभाग, परिषद् की बैठकों एवं इसके अन्य कृत्यों के लिए युक्ति-युक्त सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(6) राज्य सलाहकार परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावशाली अनुपालन के लिए राज्य सरकार को सलाह देगी।

(27/7/11)  
(अनिल संत)  
सचिव,  
बेसिक शिक्षा

## परिशिष्ट

प्रपत्र-1

(नियम-11 का उपनियम (1) देखें)

विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन सहित स्वघोषणा  
उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(जिला का नाम एवं राज्य)

महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक स्वघोषणा करता हूँ और (विद्यालय का नाम और पता) .....हेतु शैक्षिक सत्र..... के प्रारम्भ से मान्यता की स्वीकृति के लिए विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक :

स्थान :

दिनांक :

भवदीय,

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

(क) विद्यालय का विवरण

1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक पता	
5.	ग्राम/शहर	
6.	ब्लाक एवं तहसील	
7.	पिन कोड	
8.	एस0टी0डी0 कोड के साथ फोन नम्बर	
9.	फैक्स नम्बर	
10.	ई-मेल पता, यदि कोई है	
11.	निकटतम पुलिस स्टेशन	

(ख) सामान्य जानकारी

1.	स्थापना का वर्ष			
2.	विद्यालय के प्रथम खुलने का दिनांक			
3.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का नाम			
4.	क्या न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति पंजीकृत है ?			
5.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति के पंजीकरण की वैधता की अवधि (साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)			
6.	प्रतियुक्त हलफनामों पर पते सहित सदस्यों की सूची के साथ न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का गैर सांपत्तिक चरित्र का प्रमाण।			
7.	विद्यालय के अध्यक्ष/प्रधान/प्रबन्धक का नाम,			
	कार्यालय पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	फोन	कार्यालय..... आवास..... मोबाईल नं0.....		
8	पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल आय एवं व्यय अधिशेष/घाटा (लेखों को चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा लेखा संपरीक्षित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिये और समुचित लेखा-विवरण संलग्न किये जायें)			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा

(ग) विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र

1.	शिक्षा का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश और निकास कक्षार्थे विनिर्दिष्ट कीजिए) (क) लड़के/लड़कियों/सह-शिक्षा (ख) सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (ग) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो अभिकरण का नाम और सहायता की प्रतिशतता।	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	
5.	यदि हाँ है तो किस प्राधिकारी द्वारा ? मान्यता संख्या.....	
6.	क्या विद्यालय के पास उसका अपना भवन है या क्या वह किराये के भवन में चल रहा है ? (साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)	
7.	क्या विद्यालय भवनों या अन्य निर्मित संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं प्रवीणता सम्बन्धित विकास के प्रयोजनार्थ किया जाता है ?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र (भवन योजना के साथ)	

(घ) नामांकन का स्तर

	कक्षा	अनुभागों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	एक से पाँच		
3.	छः से आठ		

(ङ) आधार भूत संरचनाओं का विवरण एवं स्वच्छता सम्बन्धी दशायें

	कक्ष	संख्याएं	औसत आकार
1.	कक्ष		
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भंडारण कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		
3.	रसोई-सह-भंडारण		

(च) अन्य सुविधाएं

1.	क्या समस्त सुविधाओं तक बाधारहित पहुँच है ?	
2.	शिक्षण-अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीड़ा और खेल उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	
	➤ पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) ( सूची संलग्न करें)	
	➤ सामायिक/समाचारपत्र	
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	
6.	स्वच्छता सम्बन्धी दशायें (एक) मूत्रालयों और डब्ल्यू0सी0 के प्रकार (दो) बालकों के लिए अलग से शौचालयों/मूत्रालयों की संख्या (तीन)बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों/मूत्रालयों की संख्या	

(छ) शिक्षण कर्मियों का विवरण

1. अनन्य रूप से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तर पर शिक्षणरत्। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता	व्यावसायिक अर्हता	शिक्षण अनुभव

(विषय के साथ) (4)	(5)	(6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
<b>3. प्रधान अध्यापक</b>		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

**(ज) पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण**

1.	प्रत्येक कक्षा में अपनाये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण का विवरण (कक्षा 8 तक)	
2.	छात्र-मूल्यांकन की प्रणाली	
3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	

- (झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ा प्रग्रहण प्रारूप में सूचना भी प्रस्तुत की है।
- (ञ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण; हेतु उपलब्ध है;
- (ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित रिपोर्ट और सूचना प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है और वह जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को

सुनिश्चित करने के लिये या विद्यालय की कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें;

- (ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विद्यालय के अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी अथवा शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी समस्त सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा प्रशासन यथास्थिति संसद/राज्य की विधान सभा/पंचायत/नगर निगम के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए निमित्त आवश्यक हों।

ह0

स्थान:

अध्यक्ष/प्रबन्धक  
प्रबन्ध समिति  
.....विद्यालय

**प्रपत्र-2**  
**(नियम-11 का उपनियम (4) देखें)**

ग्राम:  
ई-मेल:

फोन:  
फैक्स:

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
(जिला/राज्य का नाम)

संख्या:

दिनांक:

प्रबन्धक,

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.....और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं.....(पता सहित विद्यालय का नाम) को कक्षा.....से.....कक्षा.....तक हेतु दिनांक.....से दिनांक.....तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के ..... % तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा; परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।



4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा --
  - (क) बालक का आयु-प्रमाण न होने पर;
  - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:
  - (एक) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
  - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा;
  - (तीन) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है;
  - (चार) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा;
  - (पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन;
  - (छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है; और
  - (सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।

11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन, 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रचलित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या.....है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

**Uttar Pradesh Shasan  
Shiksha Anubhag - 5**

In pursuance of the provisions of clause 3 of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no : /79-5-2011-29/09 dated 2011.

No : 2510 /79-5-2011-29/09

Lucknow : Dated : Jul 9 2011

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act no. 35 of 2009) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of implementation of the provisions of the aforesaid Act.

**THE UTTAR PRADESH RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY  
EDUCATION RULES, 2011**

**PART I  
PRELIMINARY**

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| <b>Short title, extent and commencement</b> | <b>1</b> | <p>(1) These rules may be called the <b>Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011</b>.</p> <p>(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) They shall come into force at once and shall remain in force subject to the condition that adequate funds will continually made available by the Central Government.</p>  |
| <b>Definitions</b>                          | <b>2</b> | <p>(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -</p> <p>a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;</p> <p>b) "anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Services Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;</p> <p>c) "appointed date" means the date of commencement of the Act i.e. April 1, 2010;</p> <p>d) "Chapter", "section" and "Schedule" means respectively Chapter, section of, and Schedule to, the Act;</p> |

- c) **"form"** means a form given in the Appendix to these rules;
- f) **"neighbourhood"** means a population area specified in rule 4;
- g) **"pupil cumulative record"** means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
- h) **"school mapping"** means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;
- i) **"specified norms"** means the norms and standards specified in the Schedule to the Act;
- j) **"Zila Shiksha Adhikari"** means a District Level Officer in Department of Basic Education or Department of Secondary Education, as the case may be.

(2) Words and expressions used in these rules not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

## PART II

### RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

#### Special Training (section-4)

3

(1) The School Management Committee/ local authority shall within the area of jurisdiction thereof, identify never enrolled or school dropout children above the age of 6 years, get them admitted in a class appropriate to their age in their neighbourhood school, assess their learning level and accordingly organize special training for them as required in the following manner, namely:-

- a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the State Council for Educational Research and Training;
- b) it shall be provided in classes held on the premises of the school, or through classes organized in safe residential facilities;
- c) it shall be provided by teachers working in the school, or by persons specially appointed for the purpose;
- d) the duration of special training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class,

academically and emotionally.

### PART III

#### DUTIES OF THE STATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

- |   |          |   |
|---|----------|---|
| <b>Areas or limits of neighbourhood (section-6)</b> | <b>4</b> | <p>(1) The area or limit of neighbourhood within which a school has to be established by the Committee authorized by the State Government. shall be as under-</p> <p>a) in respect of children in classes I-V, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 1.0 Km. and has population of at least 300;</p> <p>b) in respect of children in classes VI-VIII, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 3.0 km. and has population of at least 800.</p> |
|---|----------|---|

**Explanation:** For the purposes of this rule the expression "Committee authorized by the State Government" shall mean the Committee established under section-10 or section -10 A, as the case may be, of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

(2) For children from such areas where it is not possible to provide school within the radius of neighbourhood specified under sub-rule (1), the State Government shall make adequate arrangements, such as free transportation, residential facilities etc. in relaxation of the provisions specified under sub-rule (1).

(3) The local authority i.e. Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat as the case may be shall identify a neighbourhood school where children can be admitted and make such information public for each habitation within its jurisdiction.

(4) In respect of children with disability, which prevent them from accessing the school, the local authority with the prior approval of the Zila Shiksha Adhikari, shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements for them to attend school and complete elementary education.

(5) The local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| <b>Duties of State Government and local authority (section-8 and 9)</b> | <b>5</b> | <p>(1) A child attending a school of the State Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 of the Act a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 of the Act in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act and a child attending a school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act in pursuance of clause (c) of sub-</p> |
|---|----------|--|

section (1) of section 12 of the Act shall be entitled to free textbooks each year and uniform once in each year:

Provided that a child with disability shall also be provided free special learning, support material and equipments.

**Explanation:** In respect of the child admitted in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 12 and a child admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and of sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2, respectively.

(2) For the purposes of determining and establishing neighbourhood schools, the local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disability, children belonging to disadvantaged group, children belonging to weaker section and children referred to in section 4, latest by 31<sup>st</sup> March, and every year.

(3) The local authority shall be responsible to ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse or discrimination in the school.

(4) The local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

**Maintenance of records of children by local authority ((section-9 (d))**

6 (1) The local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a survey, from their birth till they attain 14 years of age.

(2) A unique identity number shall be allotted to each child by the Zila Shiksha Adhikari to ensure and monitor enrolment, attendance, learning achievement and completion of elementary education of every child.

(3) The record, referred to in sub-rule (1), shall be -

- a) updated annually ;
- b) maintained transparently, in the public domain, and used for the purposes of ensuring and monitoring admission, attendance and completion of elementary education by every child residing within its jurisdiction.

(4) The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, be maintained on the prescribed format including the following detail:-

- a) name, sex, date of birth, place of birth;
- b) parents' or guardians' name, address, occupation;
- c) pre-primary school/anganwadi centre where the child attends (up to the age of 6 years);
- d) elementary school where child is admitted;
- e) present address of the child;
- f) class in which the child is studying;
- g) for children between age of 6-14 years, if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance;
- h) whether the child belongs to the weaker section within the meaning of clause (e) of section 2 of the Act;
- i) whether the child belongs to a disadvantaged group within the meaning of clause (d) of section 2 of the Act;
- j) details of children requiring special facilities or residential facilities on account of migration and sparse population, age appropriate admission and disability.

(5) The local authority shall ensure that the names of all children enrolled in the schools under its jurisdiction are publicly displayed in each school.

(6) The Zila Shiksha Adhikari shall ensure that the information referred to in sub-rule (4) is displayed and updated on the district website.

#### **PART IV**

#### **RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS**

**Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group**  
**((section-12 (1) (c))**

- 7 (1) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) to section 12 (1) shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) to section 12 (1) shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as textbooks, library and Information, Communication and Technology (ICT) facilities, extra-curricular activities and sports.

(3) The areas or limits of neighbourhood specified in rule 4 (1) shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) to section 12 (1):

Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) to section 12 (1), extend these limits with the prior approval of the State Government.

(4) The local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall maintain a name-wise list and record of all children belonging to weaker section and disadvantaged group, studying in private and specified category schools under its jurisdiction,

**Admission of children and reimbursement of per-child expenditure by the State Government**

**((section-12 (1) (b) and (c) and section-12 (2))**

8 (1) The process of admission of children referred to in clauses (b) and (c) of section 12 (1) shall be totally transparent. The detail of such children applying for admission shall be maintained by the school regularly, which shall include the name, address, sex, caste, date of birth of the child and the name, address, occupation and monthly income of father/mother/guardian, detail of whether child belongs to weaker section or disadvantaged group. Such information shall be made public through website. Out of the total applicants, all the children who applied for admission, but not admitted for whatsoever reason, shall be informed in writing with the reason thereof. It shall also be binding for the school to follow the process of admission prescribed by the State Government from time to time.

(2) The total annual recurring expenditure incurred by the State Government, from its own funds, and funds provided by the Central Government and by any other authority on elementary education in respect of all schools established, owned or controlled by it or by the local authority, divided by the total number of children enrolled in all such schools as on 30<sup>th</sup> September, shall be the per-child expenditure incurred by the State Government.

**Explanation-** For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the State Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(3) Every school referred to in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12.



(4) Every school referred to in sub-rule (3) seeking reimbursement, shall provide the list of children, with their unique identity number and details of item-wise expenditure incurred by the school with all requisite details along with evidence on the form prescribed by the Director of Education (Basic) by 31<sup>st</sup> October of every year:

Provided that where such schools are already under obligation to provide free education to a specified number of children on account of it having received any land, building equipment or other facilities either free of cost or at a concessional rate, such schools shall not be entitled for reimbursement to the extent of such obligation.

(5) The Zila Shiksha Adhikari after necessary verification will transfer the amount of reimbursement due in the account referred to in sub-rule (3) and shall make the information public through website.

(6) If at any stage, the school is found having sought and received reimbursement on the basis of concealment of facts or wrong claim, it will have to deposit twice the amount so received, in the Government exchequer with action for withdrawal of recognition of the school and proceeding under the relevant sections of Indian penal code, and the amount shall be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

**Documents as age  
proof**

**(section-14)**

9 Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools-

- a) hospital or Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record;
- b) anganwadi record;
- c) village register of birth and death;
- d) declaration through an affidavit of the age of the child by the parent or guardian.

**Extended period for  
admission in school**

**(section-15)**

10 (1) Extended period of admission shall be three months from the date of commencement of the academic year of a school i.e. 30<sup>th</sup> September after the commencement of the session.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

**Recognition to  
school**

**(section-18)**

11 (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government or local authority, established before the commencement of the Act shall make a self declaration in Form-I to the concerned Zila Shiksha Adhikari, who shall be the authorized officer.

regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in the Schedule and fulfillment of the following conditions, namely:-

- a) the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force;
- b) the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
- c) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;
- d) the school building or structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
- e) the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government or local authority;
- f) the school furnishes such reports and information as may be required by the Zila Shiksha Adhikari/ Director of Education or any other authorized officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

(2) Every self declaration received in Form-I shall be placed by the Zila Shiksha Adhikari in public domain through website within fifteen days of its receipt.

(3) The Zila Shiksha Adhikari shall conduct on-site inspection of such schools which claim in Form-I to fulfill the norms, standards and the conditions mentioned in sub-rule (1) within three months of the receipt of the self declaration.

(4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed by the Zila Shiksha Adhikari in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the Zila Shiksha Adhikari in Form-II, within a period of 60 days from the date of inspection.

(5) The list of schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be prepared and made public by the Zila Shiksha Adhikari through a notification mentioning the deficiencies and shall be displayed on website. Such schools may request the Zila Shiksha Adhikari for an on-site inspection for grant of recognition anytime within the next two years.

(6) Schools, which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) even after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(7) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government or local authority, established after the commencement of the Act shall conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition.

(8) Every Zila Shiksha Adhikari shall maintain a register of recognized schools and allot a number to every such school.

**Withdrawal  
of recognition to  
school  
(section-18 (3))**

12 (1) Where the Zila Shiksha Adhikari on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 11, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards specified in the Schedule, he shall act in the following manner:-

a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month;

b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the Zila Shiksha Adhikari shall cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three members comprising of Government representatives and one educationist. The Committee shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, within a period of 20 days of such inspection to the Zila Shiksha Adhikari. The Committee referred to above shall be constituted by the District Magistrate and the District Magistrate shall have power to change the members of the Committee.

(2) The Zila Shiksha Adhikari, on the basis of the recommendations of the Committee shall send letter within 10 days seeking explanation from the concerned school and give 30 days time for submitting the explanation and after due examination of the explanation received or in case the explanation is not received then on the basis of records/documents, send his recommendations to the State Education Department within a period of one month thereafter:

Provided that the District Magistrate shall have the authority to get the recommendation of the Committee to be re-examined before its submission to the State Education Department.

(3) The State Education Department, shall, on the basis of the recommendations referred to in sub-rule (2), take decision within 30 days of the receipt of the recommendations and convey it to the Zila Shiksha Adhikari.

(4) The Zila Shiksha Adhikari shall, on the basis of the decision of the State Education Department, pass a speaking order canceling the recognition granted to the school within 07 days from the receipt of the decision. The order of de-recognition shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of the de-recognized schools shall be admitted.

(5) The order made under sub-rule (4) shall be conveyed to the respective local authority and shall be placed in the public domain through display on website.

## **PART V**

### **SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE**

**Composition and  
functions of the  
School Management  
Committee  
(section-21)**

- 13 (1) A School Management Committee shall be constituted in every school, other than an unaided school, within its jurisdiction and reconstituted within every two years.
- (2) The School Management Committee shall consist of 15 members out of which 11 shall be from amongst parents or guardians of children:

Provided that 50 percent of members of such Committee shall be women.

(3) The remaining 04 members of the School Management Committee shall be from amongst the following persons, namely :-

- a) one member from amongst the elected members of the local authority, to be decided by the local authority;
- b) one member from amongst Auxiliary Nurse and Midwife (ANM), to be decided by the teachers of the school;
- c) one Lekhpal, to be nominated by the District Magistrate;
- d) one member shall be the head teacher or in the absence of head teacher the senior most teacher of the school, who shall be the ex-officio member-secretary.

(4) The guardian members of the School Management Committee shall include the parent/guardian of one child each belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes and weaker section.

(5) The selection of guardian members of the School Management Committee shall be made through general consensus in the open meeting:

Provided that the Committee shall include parent/guardian of minimum one child from each class of the school.

(6) To manage its affairs, the School Management Committee shall elect a Chairperson and Vice-Chairperson from amongst the parent members.

(7) The School Management Committee shall meet at least once a month and the minutes and decision of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

(8) The School Management Committee shall, monitor the working of the school; prepare and recommend School Development Plan; monitor the utilization of the grants received from the State Government or local authority or other source, and in addition, perform the following functions, for which it may constitute smaller working groups from amongst its members:-

- a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the right of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the State Government, local authority, school, parent and guardian;
- b) ensure for proper implementation of clauses (a) and (e) of section 24 and section 28 that teachers of the school maintain regularity and punctuality in attending school, hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the continued attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child and no teacher is engaged in private tuition or private teaching;
- c) monitor for the implementation of section 27 that teachers are not burdened with non academic duties other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament, as the case may be;
- d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school;
- e) monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;
- f) bring to the notice of the local authorities any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per section 3-(2);
- g) where a child above six years of age has not been admitted in any school, for his/her age appropriate learning level, identify the needs, prepare a plan, and monitor the implementation of

the special training;

- h) monitor the identification and enrolment of , and facilities for education of children with disability, and ensure their participation in, and completion of elementary education;
- i) monitor the implementation of the Mid-Day Meal programme in the school and ensure its enrichment;
- j) monitor the receipts and expenditure of the school.

(9) Any money received by the School Management Committee for the discharge of its functions under the Act, shall be kept in a separate account, to be made available for audit every year.

(10) The accounts referred to in sub-rule (9) shall be signed by the Chairperson/Vice-Chairperson and member-secretary of the School Management Committee and made available to the authorities concerned within one month of their preparation.

**Preparation of  
School Development  
Plan**

14 (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year.

(section-22)

(2) The School Development Plan shall be a three years plan comprising three annual sub plans.

(3) The School Development Plan, shall contain the following details-

- a) estimates of class-wise enrolment for each year;
- b) requirement, over the three year period, of the number of additional teachers, including head teachers, subject teachers and part-time instructors, separately for classes I to V and classes VI to VIII, calculated, as per specified norms;
- c) physical requirement of additional infrastructure and equipments etc. over the three years period, as per specified norms;
- d) additional financial requirement over the three years period, year-wise, in respect of clauses (b) and (c), including additional requirement of free textbooks for children and for providing special training facility to children admitted in age appropriate class and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson or the Vice-Chairperson and member-secretary of the School

Management Committee and submitted to the authorities concerned before the end of the financial year in which it is to be prepared.

## **PART VI TEACHERS**

### **Minimum qualification of teachers**

**((section -23 (1))**

- 15 The minimum educational qualifications for teachers, laid down by an authority, authorized by the Central Government, by notification, shall be applicable for every school referred to in clause (n) section 2.

### **Relaxation of minimum qualification**

**((section -23 (2))**

- 16 (1) The State Government shall estimate the teacher requirement as per the norms in the Schedule for all schools referred to in clause (n) of section 2 within the State.

(2) If teachers possessing prescribed minimum qualifications are not available as estimated under sub-rule (1), then the State Government shall request the Central Government by 31<sup>st</sup> March, , for relaxation of the prescribed minimum qualification.

(3) The State Government shall take necessary action after the notification issued by the Central Government, for relaxation in the minimum qualification on the request under sub-rule (2).

(4) The relaxation from minimum qualifications shall be for maximum period of five years from the commencement of the Act, i.e. till 31<sup>st</sup> March, 2015, within such period the teachers appointed under the relaxed condition shall acquire the minimum educational qualifications prescribed under rule 15.

(5) No appointment of teacher for any school can be made in respect of any person not possessing the minimum educational qualifications prescribed under rule 15 without the notification referred to in sub-rule (3).

### **Acquiring of minimum qualifications**

**((proviso to section -  
23 (2))**

- 17 (1) The State Government shall make a request to the academic authority notified by the Central Government for enhancement of capacity of teacher education and for providing required facilities for distant mode teacher training to ensure that all teachers in schools established, owned or controlled by the State Government or a local authority or specified schools, who do not possess the minimum qualifications laid down under rule 15 at the time of commencement of the Act, acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act. The State Government shall after obtaining the approval as per requirement provide for training of all such teachers.

(2) The management of aided or unaided schools shall enable such teachers, who do not possess the minimum qualifications laid down under rule 15 at the time of commencement of the Act, to acquire the same within a period of five years from the commencement of the Act.

**Salary and allowances and conditions of service of teachers**

- 18 The salary, allowances and service conditions of teachers of every type of school shall be governed by such service rules as are applicable to the teachers of that school.

**((section-23 (3))**

**Duties to be performed by teachers**

**((section -24 (1) (f))**

- 19 (1) A teacher shall:-

- a) be accountable to respective local authority and School Management Committee in regard to maintain regularity and punctuality in attending school, regular teaching, regular correction of the written work of the students and completion of entire curriculum within the specified time;
- b) monitor the regular attendance, learning ability and progress of every child in school thereof, share students' performance with parents on a regular basis;
- c) cooperate in managing the affairs of School Management Committee, when required;
- d) help the local authority for admission of all children in school, as required, within the jurisdiction of local authority;
- e) shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child to check child's understanding of knowledge and his or her ability to apply the same and for continuous evaluation, and on the basis of which shall award the completion certificate.

(2) In addition to the duties mentioned in sub-rule (1) and the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher shall perform the following duties assigned to him or her:-

- a) participation in training programmes;
- b) participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and textbook development.
- c) cooperate in internal and external school assessment initiatives

- (3) The appointing authority of teachers shall incorporate duties mentioned in section 24 (1) of the Act and responsibility as laid down in Rules 19 (1) and (2) above, in the service rules of the



teachers as conditions of service. The service rules shall also provide for consideration of outcomes of internal and external school assessments as conducted under rule 22 (3a) and (3b) in deciding rewards and punishments as well as career growth of teachers.

**Grievance Redressal mechanism for teachers** 20 The first grievance redressal of teachers shall be at the School Management Committee level constituted under section 21 and thereafter at the local authority level.

((section- 24 (3))

**Maintaining of Pupil-Teacher Ratio in each school (section-25)**

21 (1) The sanctioned strength of teachers in every school shall be notified by the District Magistrate of the respective district. Such notification shall be displayed on the district website; the sanctioned strength of teachers in a school shall be informed to the respective school and local authority:

Provided that the District Magistrate, shall, within two months of such notification, redeploy teachers of schools having strength in excess of the sanctioned strength prior to the notification referred to in sub-rule (1).

(2) In order to maintain the specified pupil-teacher ratio, the District Magistrate shall review the sanctioned strength of teacher in every school every year before the month of July and redeploy the teachers as per requirement.

(3) For the purpose of maintaining the pupil-teacher ratio, no teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or deployed for any non-educational purpose, other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament.

(4) If any teacher found to be engaged in private tuition or private teaching, disciplinary action will be taken under the service rules applicable to him or her.

## **PART VII**

### **CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION**

**Academic Authority (section -29)** 22 (1) For the purpose of section 29 the State Council of Educational Research and Training shall lay down the curriculum and evaluation procedure for elementary education.

(2) The State Council of Educational Research and Training while laying down the curriculum and evaluation procedure, shall perform following functions:-

- a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and textbooks and other learning material;
- b) develop in-service teacher training design; and

- c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation.

(3) The State Council of Educational Research and Training through internal and external organizations shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis.

- a) Performance of schools shall be assessed independently atleast once a year through a departmental assessment and mandatorily every two years through an assessment conducted by an external agency. For the annual independent assessment the State Council of Educational Research and Training shall constitute an appropriate question bank on the basis of which the District Institute of Education and Training shall conduct an assessment on a random sample basis for each block wise to the District Magistrate and Zila Basic Shiksha Adhikari by last week of December every year.
- b) External agency for the purpose could be, inter alia, drawn from amongst Faculty of Education Department of various Universities and Colleges, various Research Institutes, reputed National Level Organisations/Non-Government Organisation involved in Basic Education. Detailed terms of references be drawn and results be furnished within six months from the assignment of the assessment by the external agency. The report shall be published as a State Level School and Learning Assessment Report.

Parameters for the external biennial assessment will, inter alia, be as follows;

- Students' learning achievement levels;
- Availability and use of textbooks, teacher guides and teaching learning materials in classroom teaching;
- Opportunity to students for individual and group work;
- Regular correction of the written work by the teachers;
- Teachers' punctuality in attending schools and regularity in conduct of teaching learning;
- Sharing of students' performance with parents on a regular basis;
- Observation of teachers ability to teach and conduct classroom;
- Percentage coverage of annual curriculum.

The report shall, inter alia, furnish the outcomes of the school assessment district wise in descending order to the State Government State Council of Educational Research and Training and Sarva Shiksha Abhiyan Programme, for relevant action thereafter and will furnish block wise outcomes of the assessment to the District Magistrate and Zila Basic Shiksha Adhikari for remedial action.

**Award of certificate** 23 (1) The certificate of completion of elementary education shall be issued

**for the completion  
of elementary  
education**

**(section-30)**

at the school level within one month of the completion of elementary education in the form prescribed by Director of Education (Basic):

Provided that the private institutions shall clearly mention the allotted recognition registration number on the certificate issued by them.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall certify that the child has completed all course of study prescribed under section 29.

(3) The certificate shall contain the pupil cumulative record of the child and also specify achievements of the child in areas of activities beyond the prescribed course of study and may include music, dance, literature, sports etc.

## **PART VIII PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN**

**Performance of  
functions by the  
State Commission  
for Protection of  
Child Rights**

**(section- 31)**

24 (1) Till such time as the State Government sets up the State Commission for Protection of Child Rights, it shall constitute an interim authority known as the Right to Education Protection Authority (REPA).

(2) The Right to Education Protection Authority (REPA) shall consist of the following, namely :-

a) a Chairperson who is a person of high academic repute or has been a High Court Judge or has done outstanding work for promoting the rights of children; and

b) two members, of whom at least one shall be a woman, from the following areas, from amongst persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in-

(i) education;

(ii) child health care and child development;

(iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disability;

(iv) elimination of child labour or working with children in distress;

(v) child psychology or sociology; or

(vi) educational or administrative management.

(3) The National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 shall, so far as pertains to the terms and conditions, mutatis mutandis apply to the Right to Education Protection Authority (REPA).

(4) All records and assets of the Right to Education Protection Authority (REPA) shall be transferred to the State Commission for Protection of Child Rights immediately after its constitution.

(5) In performance of its functions, the State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (REPA), as the case may be, may also act upon matters referred to it by the State Advisory Council.

(6) The State Government shall constitute a Cell in the State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (REPA) as the case may be, which may assist the Commission or the Right to Education Protection Authority (REPA) in performance of its functions under the Act.

**Manner of  
furnishing  
complaints before  
the State  
Commission for  
Protection of Child  
Rights**

**(section-31)**

25 (1) The State Commission for Protection of Child Rights, or the Right to Education Protection Authority (REPA) as the case may be, shall set up a child help line, accessible by letter/ telephone/SMS and which would act as the forum for aggrieved child or guardian to register complaint regarding violation of rights under the Act, in a manner that records his/her identity but does not disclose it.

(2) Initially a complaint shall be made to Village Education Committee/Ward Education Committee through its member-secretary. After decision of Village Education Committee/Ward Education Committee, appeal may be made to block level Assistant Basic Shiksha Adhikari/Nagar Shiksha Adhikari, as the case may be. Second appeal may be made to Zila Panchayat under section 10 for matters related to rural area and to Municipality under section 10 A for matters related to urban area of the Uttar Pradesh. Basic Education Act, 1972

All complaints shall be monitored by Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad through transparent and prompt action on line mechanism.

**Constitution and  
functions of the  
State Advisory  
Council**

**(section -34)**

26 (1) The State Advisory Council (hereinafter in this rule referred to as the Council) shall consist of a Chairperson and 14 members.

(2) The Minister of Basic Education Department in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the Council.

(3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under:-

a) at least four members, shall be from amongst persons belonging to the Schedule Castes, the Schedule Tribes, other backward classes and Minorities; one from each category;

b) at least one member shall be from amongst persons having

specialised knowledge and practical experience of education of children with special needs;

- c) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education'
- d) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge and practical experience in the field of teacher education;
- e) one member shall be from the representative of reputed Non Government organisation exclusively working in the field of elementary education ;
- f) Secretary Basic Education shall be the convener member of the Council and the Director of Education (Basic), the Director of Education (Secondary), the Director, State Council of Educational Research and Training, the Director of Mid Day Meal Authority and the State Project Director, Uttar Pradesh Education For All Project Board shall be ex-officio members of the Council ;

Provided that fifty percent of members, other than ex-officio members, shall be from amongst women.

- (4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Departments as required.
- (5) The Department of Basic Education shall provide logistic support for meetings of the Council and its other functions.
- (6) The State Advisory Council shall advise the State Government for effective compliance of the provisions of the Act.

(27/7/11)  
(ANIL SANT)  
Secretary  
Basic Education

## **APPENDIX**

### **FORM-I**

**(See sub-rule (1) of Rule 11)**

#### **SELF DECLARATION CUM APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL**

**The Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011**

To,

The Zila Shiksha Adhikari  
(Name of District & State)

Sir,

I forward herewith with a self declaration regarding compliance with the norms and standards specified in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to-----  
----- (Name of the school with address) with effect from the commencement of the school year 20-----

Enclosure:

Place:

Date:

Yours faithfully,

Chairman of Managing  
Committee/ Manager

**A. School Details**

1.	Name of School	
2.	Academic Session	
3.	District	
4.	Postal Address	
5.	Village/City	
6.	Block and Tehsil	
7.	Pin Code:	
8.	Phone No. with STD Code	
9.	Fax No.	
10.	E-mail address if any	
11.	Nearest Police Station	

**B. General Information**

1.	Year of Foundation			
2.	Date of First Opening of School			
3.	Name of Trust/Society/Managing Committee			
4.	Whether Trust/Society/Managing Committee/ is registered.			
5.	Period up to which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid. (relevant documents for evidence of proof to be enclosed)			
6.	Proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy.			
7.	Name, official address of the Manager/President/Chairman of the School			
	Name			
	Designation			
	Address			
	Phone	(O)..... (R)..... (Mobile No).....		
8.	Total Income and Expenditure during last 3 years surplus/deficit (The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper account statements should be enclosed)			
	Year	Income	Expenditure	Surplus/deficit

### C. Nature and area of School

1.	Medium of Instruction	
2.	Type of School (Specify entry & exit classes) (a) Boys/Girls/Co-ed. (b) Aided/Unaided (c) Primary/Upper primary	
3.	If aided, the name of agency and percentage of aid	
4.	If School Recognized	
5.	If so, by which authority Recognition number	
6.	Does the school has its own building or is it running in a rented building. ( relevant documents for evidence of proof to be enclosed)	
7.	Whether the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development?	
8.	Total area of the school	
9.	Built in area of the school (with building plan)	

### D. Enrollment Status

	Class	No. of Sections	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I-V		
3.	VI-VIII		

### E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions

	Room	Numbers	Average Size
1.	Classroom		
2.	Office room-cum-store Room-cum-Headmaster Room		
3.	Kitchen-Cum-Store		

### F. Other Facilities

1.	Whether all facilities have barrier free access	
2.	Teaching Learning Material (attach list)	
3.	Sports & Play equipments (attach list)	
4.	Facility of books in Library ➤ Books (No. of books) (attach list) ➤ Periodical/Newspapers	
5.	Type and number of drinking water facility	
6.	Sanitary Conditions (i) Type of W.C. & Urinals	



	(ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Boys	
	(iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls	

**G. Particulars of Teaching Staff**

<b>1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)</b>		
Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
<b>2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)</b>		
Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
<b>3. Head Teacher</b>		
Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

**H. Curriculum and Syllabus**

1.	Details of curriculum & Syllabus followed in each class (up to VIII)	
2.	System of Pupil Assessment.	
3.	Whether pupils of the school are required to take any Board exam up to class 8?	

- I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application.
- J. Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority.
- K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the Zila Shiksha Adhikari from time to time and complies with such instructions of the Zila Shiksha Adhikari as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
- L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection by any officer authorized by the Zila Shiksha Adhikari or the Director of Education or the State Government at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the State Government or the local authority or the administration to fulfill the obligations thereof to Parliament/Legislative Assembly of the state/Panchayat/Municipal Corporation as the case may be.

Sd./.....  
Chairman/Manager,  
Managing Committee  
.....School

Place:

**FORM-II**  
**(See sub-rule (4) of Rule 11)**

**Gram:**  
**E-Mail:**

**Phone:**  
**Fax:**

**OFFICE OF THE ZILA SHIKSHA ADHIKARI**  
**(Name of District/State)**

**No.**

**Dated:**

**The Manager,**

**Sub: Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 11 of The Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.**

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated.....and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the..... (name of the school with address) for Class.....to Class.....for a period of three years w.e.f. ....to.....

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure I) and the Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (Annexure II).
3. The School shall admit in class I, to the extent of -----% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion. Provided, further that in case of pre primary classes also, this norm shall be followed.
4. For the children referred to in paragraph 3, the School, if covered under section 12(2) of the Act, shall be reimbursed accordingly. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account.
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission
  - (a) to any child for lack of age proof;
  - (b) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
7. The School shall ensure that,-
  - (i) no child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
  - (ii) no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;

- (iii) no child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
  - (iv) every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under Rule 23;
  - (v) inclusion of Students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
  - (vi) the teacher performs its duties specified under section 24 (1) of the Act; and
  - (vii) the teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.
8. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by the appropriate authority.
  9. The School shall enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the section 19 of the Act.
  10. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.
  11. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force.
  12. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
  13. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the Zila Shiksha Adhikari every year.
  14. The recognition Code Number allotted to your school is .....This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.
  15. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/ Zila Shiksha Adhikari from time to time and complies with such instructions of the State Government/local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
  16. Renewal of Registration of Society, if any, be ensured.
  17. The School Management/Trust and staff shall abide by the directions of the State Government issued from time to time.
  18. Other conditions as per Annexure 'III' enclosed.

Yours faithfully,

Zila Shiksha Adhikari

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)

NO.TCII/2196/AIDS/Policy.

New Delhi, dated 18.6.2009

The General Managers(Commercial)  
All Indian Railways

**Commercial circular No- 20 of 2009**

Sub: Grant of concession to AIDS patients for treatment at nominated  
ART (Anti Retroviral Therapy) centre.

In partial modification of Board's circular of even number dated 14.3.2008  
(Commercial Circular No.18 of 2008), it has been decided with immediate effect that:

- (i) the term "AIDS" is replaced by "Immuno-Compromised";
- (ii) the validity period of the concession certificate for HIV/AIDS (hence forth termed as "Immuno Compromised") is extended from three months to six months.

All other terms and condition of the circular will remain unchanged.

Zonal Railways may arrange to revise the certificates accordingly and specimen copies of the certificates may be sent to concerned ART centres situated in their Zones and also advise them about this. The existing certificates will, however, continue to be accepted till the new certificates are printed. Necessary instruction to this effect may be issued to all concerned immediately and suitable changes incorporated in PRS, manual ticketing system, SPTM, UTS etc. wherever required.



( Dr.Monica Agnihotri )  
Director Passenger Marketing  
Railway Board.

.....2/

No. TCII/2196/07/AIDS/Policy.

New Delhi, dated 18 .6.2009

Copy forwarded for information to:

1. CCMs, All Indian Railways.
2. CCM (PM)s, All Indian Railways.
3. MT, DG/RHS, Railway Board.
4. DPR, TG-I, TG-II, TG-V, TC(CR), V(SS), PR, Health & F(C) Branches, Railway Board.
5. General Manager, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, Near National Rail Museum, New Delhi.
6. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
7. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 014.
8. General Manager, Metro Railway, 33/1, J.L. Nehru Road, Calcutta-700071.
9. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
10. The Secretary, Ministry of health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi for issue necessary advice to concerned ART Centres.
11. General Secretary, IRCA, Chelmsford Road, New Delhi for issue of necessary correction slip to IRCA Coaching Tariff No. 25, Part I (Vol. II). The Word AIDS may be replaced by "Immuno-Compromised" in the rule and also in the certificates. Validity period may be revised six months in both the certificates.
12. Ms. Sujatha Rao, Secretary & Director General, Department of AIDS control, NCO, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India with reference to their letter No. T-11020/80/2006 NACO (ART) dated 31.3.2009.

(Dr.Monica Aginihotri)  
Director (Passenger Marketing),  
Railway Board



बी0एस0 भुल्लर

आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव



अर्द्धशां०पत्रसं०: एड्स सोसा०/GIPA/Coordination/138264-

चिकित्सा शिक्षा विभाग 138273

तृतीय तल, विकास भवन,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

दिनांक: 06 सितम्बर, 2011

प्रिय महोदय,

कृपया उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित समस्त मेडिकल कॉलेजों को पूर्व प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एड्स सोसा०/GIPA/Coordination/98280-98286 दिनांक 22 मार्च, 2010 (छायाप्रति संलग्न) के साथ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न शासनादेश संख्या -1094/71-1-200-जी-13/2000 दिनांक 12 जुलाई, 2000 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त शासनादेश के “अनुच्छेद-2, बिन्दु-1” के अनुसार “विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण, राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण कैसर नियन्त्रण/एड्स नियन्त्रण/मलेरिया एवं फाइलेरिया नियन्त्रण तथा घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा भेजे जाएंगे उनसे संक्रमित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा” किन्तु इसके बावजूद यह संज्ञान में आ रहा है कि मेडिकल विश्वविद्यालय/ संस्थान/ मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदत्त की जा रही इन सुविधाओं में की जा रही जाँचों में मात्र HBsAg, HCV, VDRL (माइक्रोबायोलोजी) व Hb, TLC, DLC, ESR, S.Urea, S. Crt, LFT (पैथोलोजी) इत्यादि ही निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं जबकि अन्य जाँचें RBS, Lipid Profile, व X-ray Chest, Sonography आदि विशेषतया X-Ray Chest (HIV-TB Co-Relation) (एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति को TB होने की सम्भावना अत्यधिक होती है) व Sonography (Ultrasound) इत्यादि (गर्भवती संक्रमित महिलाओं के लिए) अतिमहत्वपूर्ण है; जिसके लिए ऐसे मरीजों को बाहर (बाजार) का सहारा लेना पड़ रहा है व बाजार में उपर्युक्त जाँचों के लिए मरीज की आवश्यकता को देखते हुए मनचाहा शुल्क लिया जाता है; परिणामस्वरूप यदा-कदा ऐसे मरीज या तो ए.आर.टी. केन्द्र पहुँच नहीं पाते हैं या फिर धनाभाव में उनके उपचार में विलम्ब हो जाता है क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक दशा इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उपरोक्त उपचार हेतु व्यय की जाने वाली समस्त राशि का वहन वह स्वयं कर सकें। इस परिस्थिति में उनके उपचार में होने वाली असुविधा/बाधा उनके शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है एवं यदा-कदा समुचित उपचार प्राप्त न कर पाने की अवस्था में उनका देहान्त भी हो जाता है।

अतएव उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्ति जिनके पास ICTC/PPTCT HIV Positive Test Report हो, को आवश्यकतानुसार निम्नानुसार जाँचे “1.CBC, 2. BL Urea, 3. S Creat, 4. S Bilirubin, 5. SGPT, 6. SGOT (LFT), 7. RBS, 8. Lipid Profile, 9. VDRL, 10. Hbs Ag, 11. X-ray Chest, 12. Sonography” इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(बी0एस0 भुल्लर)

कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य,  
चिकित्सा विश्वविद्यालय/ संस्थान /समस्त मेडिकल कॉलेज,  
संलग्न सूची अनुसार।



प्रो०डा०डी.के. गुप्ता,

कुलपति,  
छत्रपतिशाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,  
लखनऊ ।

प्रो०डा०टी.एम. महापात्रा,

निदेशक,  
आई.एम.एस.(बी.एच.यू.)  
वाराणसी ।

प्रो०डा० के.के. गुप्ता,

प्रधानाचार्य,  
एल.एल.आर.एम.मेडिकल कॉलेज,  
मेरठ ।

प्रो०डा० एस.पी. सिंह,

प्रधानाचार्य,  
एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज,  
इलाहाबाद ।

प्रो०डा०अशरफ मलिक,

प्रधानाचार्य,  
जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज,  
अलीगढ़ ।

प्रो०डा०धर्म सिंह,

प्रधानाचार्य,  
एस.एन.मेडिकल कॉलेज,  
आगरा ।

प्रो०डा०आर.के.सिंह,

प्रधानाचार्य,  
बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज,  
गोरखपुर ।

प्रो०डा०आनन्द स्वरूप,

प्रधानाचार्य,  
जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज,  
कानपुर ।

प्रो०डा० गनेश कुमार,

प्रधानाचार्य,  
एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज,  
झाँसी ।

प्रो०डा०ब्रिगेडियर टी.प्रभाकर,

निदेशक,  
उ.प्र.ग्रामीण आर्युविज्ञान अनुसंधान संस्थान,  
सैफई-इटावा ।



**ई-मेल / स्पीड-पोस्ट**  
**शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण**

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ०प्र०,  
अनुभाग-4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी(नाम से),  
उत्तर प्रदेश।

संख्या: **E3678/4-6ई/2010**

दिनांक: **02-6-2010**

विषय: आम आदमी बीमा योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक "आम आदमी बीमा योजना" का क्रियान्वयन हेतु मा० परिषद द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं :-

**आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य एवं प्रारम्भ**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी ग्रामीण परिवार के कमाऊ व्यक्ति/मुखिया की मृत्यु होती है, और उस व्यक्ति के नाम से, जिसकी मृत्यु हुई है, कोई भूमि खाते में दर्ज नहीं थी तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों को तात्कालिक आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 2-10-2007 से घोषित की गयी "आम आदमी बीमा योजना" को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वर्ष 2008-09 में लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को दिनांक 1 नवम्बर, 2008 से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

**आम आदमी बीमा योजना हेतु पात्रता**

इस योजना के लिए उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 के अनुसार ऐसे ग्रामीण भूमिहीन "जो या जिसके (पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो) या अवयस्क बच्चा भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि धारण नहीं करता हो और आबंटन के तुरन्त पूर्वगामी 2 वर्षों के अन्दर इस रूप में कोई भूमि धारण नहीं की हो" तथा "बीमित होने वाला लाभार्थी एवं उसका परिवार नियमित रूप से गांव में ही निवास करता हो" इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य ही बीमा के लिए पात्र हैं। यदि किसी परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक है, तो वहां उस परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

### आयु प्रमाण-पत्र

आयु प्रमाण-पत्र के लिए राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची या परिचय-पत्र (संदेह की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र) मान्य होगा।

### आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य का प्रीमियम का भुगतान

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य/लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना है, बल्कि प्रति मुखिया सदस्य रू0 200/- का वार्षिक प्रीमियम होगा, जिसका 50% राज्य सरकार एवं 50% प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से की जायेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया सदस्यों की संख्या संबंधी सूचना परिषद को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराना होगा, जिसके आधार पर परिषद द्वारा 100/- प्रति मुखिया सदस्य की दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अतः जिलाधिकारी इस संबंध में नियमानुसार पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया सदस्यों की त्रुटिरहित सही सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम, 30 हजरतगंज, लखनऊ व परिषद को निर्धारित प्रपत्रों पर भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे।

### आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत किये गये बीमा की अवधि

आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार/उ0प्र0 शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठावान योजना है। यह योजना वर्षानुवर्ष के लिये संचालित है, जिसमें बीमित प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करके नवीनीकरण के द्वारा किया जाता है। योजना में बीमित सदस्य निर्धारित पात्रता की परिधि से प्रतिकूल बात आने यथा मृत्यु होने या 59 वर्ष की अवधि पूर्ण करने अथवा जिन्होंने भूमि कय कर ली हो या बतौर उत्तराधिकार से भूमि प्राप्त कर लिये हों अथवा अन्य श्रोतों से भूमि प्राप्त कर ली हो या ग्रामीण भूमिहीन की श्रेणी में परिवर्तन होने तक प्रभावी रहेगी।

### आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य/परिवार को हित लाभ

बीमित मुखिया सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु की दशा में ₹0 30,000/- तथा दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में ₹0 75,000/- देय है। पूर्णतया अपंग होने पर ₹0 75,000/- तथा आंशिक अपंगता की दशा में ₹0 37,500/- देय होता है।

### आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति-लाभ

इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये मुफ्त छात्रवृत्ति का लाभ भी उपलब्ध है। इसमें 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रति माह ₹0 100/- की छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को ₹0 100/- प्रतिमाह की दर से देय होगी।

### आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी

इस योजना के संचालन हेतु शासन स्तर पर राजस्व विभाग नोडल विभाग है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिला स्तर जिलाधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/(प्रशा०) नोडल अधिकारी होंगे। इसीप्रकार तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। ग्राम स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल इस योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

### आम आदमी बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार/उ०प्र० शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जा रही है, जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार तहसील दिवसों, ग्राम पंचायतों, संगोष्ठियों एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की बैठकों में किया जाय, ताकि इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता एवं हित लाभ परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों का उत्तरदायित्व :-**

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत नामित प्रत्येक नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अधीनस्थ क्रमशः ग्राम/विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तर पर योजना से संबंधित पात्र मुखिया सदस्यों का बीमा एवं हित लाभ के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एवं सी0डी0 भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करायेंगे तथा हित लाभ/दावों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी प्रमाण-पत्रों व दावों से संबंधित चेक मुखिया सदस्यों/नामिनी को तहसील दिवस में उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तहसील दिवस में प्रमाण-पत्र/चेक वितरण से जो मुखिया सदस्य/नामिनी रह जायेंगे, उन्हें ग्राम स्तर पर संबंधित लेखपाल/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना से संबंधित समस्त अभिलेख स्थायी तौर पर तहसील स्तर पर रखा जायेगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त चेक एवं वितरण/उपभोग प्रमाण-पत्र का लेखा-जोखा ग्रामवार लेखपाल स्तर पर तथा तहसील एवं जनपद स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा स्थायी अभिलेख के साथ रखा जायेगा।

लेखपाल द्वारा चिन्हित सभी भूमिहीन पात्र परिवार के मुखिया सदस्यों की सूची में यदि किसी ऐसे भूमिहीन पात्र परिवार के मुखिया सदस्य का नाम जान-बूझ कर छोड़ दिया गया हो, जो वास्तव में उक्त योजना का लाभ पाने का हकदार है, तो लेखपाल से उच्च स्तर के नोडल अधिकारी का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत पर अपने स्तर से इस आशय का सत्यापन सुनिश्चित करते हुए प्रकाश में आये नियमानुसार पात्र मुखिया सदस्य का नाम उक्त चिन्हांकित सूची में सम्मिलित करायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार अपने क्षेत्र में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्रामवासी एवं प्रधान से योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

**आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर लेखपाल का उत्तरदायित्व :-**

आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु लेखपाल का नोडल अधिकारी के रूप में निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

**(i)-पात्र मुखिया सदस्य का चिन्हांकन एवं प्रेषण:-** इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर प्रत्येक लेखपाल का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र के ग्रामवार सभी पात्र भूमिहीन परिवार के मुखिया

सदस्य का बीमा हेतु नियमानुसार चिन्हित करेंगे तथा उसके 9वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत् अधिकतम् दो विद्यार्थी का नाम सहित विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर तैयार करके उसकी सी0डी0 सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे :-

भारतीय जीवन बीमा निगम के उपयोगार्थ "बीमा प्रपत्र"

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमा हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने संबंधी पात्रता सूची :-

ग्राम का नाम ----- तहसील का नाम ----- जनपद का नाम -----

क्र 0 सं 0	परिवार के मुखिया का नाम	लिंग	उम्र	पेशा	पिता / पति का नाम	दावा हेतु नामित व्यक्ति / वारिस का नाम	उ म्र	परिवार के मुखिया से संबंध	मुखिया के परिवार में 9वी से 12वी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का नाम व कक्षा	अभ्यु क्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10   11	12

उपरोक्तानुसार ग्रामवार चिन्हित प्रत्येक मुखिया सदस्य का क्रम संख्या, नाम, दावा हेतु नामित व्यक्ति/वारिस का नाम तथा अध्ययनरत् दो बच्चों के नाम की एक सूची लेखपाल द्वारा "आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित परिवारों का विवरण" से संबंधित एक स्थायी रजिस्टर निम्न प्रारूप पर सदैव अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जायेगा।

**(ii)–लेखपाल की अभिरक्षा में सदैव के लिये रखे जाने हेतु “आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित परिवारों का विवरण” से संबंधित स्थायी रजिस्टर:-**

ग्राम का नाम			तहसील का नाम			जनपद का नाम					
क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	लिंग	उम्र	पेशा	पिता/पति का नाम	दावा हेतु नामित व्यक्ति / वारिस का नाम	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध	मुखिया के परिवार में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का नाम व कक्षा	पालिसी परिचय-पत्र संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

दावों के प्रेषण का दिनांक	भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त चेक संख्या एवं दिनांक	वितरण का दिनांक	अभ्युक्ति
13	14	15	16

**(iii)–बीमित सदस्य का पालिसी परिचय-पत्र/चेकों का वितरण**

:- भारतीय जीवन बीमा निगम बीमित प्रत्येक सदस्यों का पालिसी परिचय-पत्र एवं लाभार्थियों के देय चेक जनपद स्तर के नोडल अधिकारी (अपर जिलाधिकारी, वि०रा०/प्रशा०) को उपलब्ध करायेंगे। जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी परिचय-पत्र /चेक संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे तथा तहसीलदार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त पालिसी परिचय-पत्र/चेकों का वितरण तहसील दिवस में बीमित सदस्य/नामिनी को किया जायेगा। तहसील दिवस में जो पालिसी परिचय-पत्र/चेक वितरण से रह जायेंगे, वह बीमित सदस्य/नामिनी के निवास स्थान पर उन्हें उपलब्ध करायेंगे। वितरण से पूर्व लेखपाल द्वारा रखे गये स्थायी रजिस्टर में बीमित सदस्य के सम्मुख पालिसी संख्या अंकित किया जायेगा।

**(iv)–बीमित सदस्य/परिवार का हित-लाभ/दावों का प्रेषण :-**

दावों (Claim) से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित संलग्नक प्रपत्र परिशिष्ट-V, व छात्रवृत्ति से संबंधित परिशिष्ट- IX एवं X पर

--7/-

मुखिया सदस्य/लाभार्थियों से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार करके भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध करायेंगे।

**(क) दावे की प्रक्रिया:-**

मृतक के लाभार्थी को मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, दावा प्रपत्र एवं एल0आई0सी0 द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र नोडल एजेंसी के पास जमा करना होगा, जिसके नोडल एजेंसी दावे के लिये भा0जी0बी0 निगम(एल0आई0सी0) की जिला स्तर पर अधिकृत शाखा के पास भिजवायेगी। एल0आई0सी0 लाभार्थी के नाम एकाउण्ट पेयी चेक जनपद स्तर के नोडल अधिकारी को प्रेषित करेगी, जिसका वितरण तहसील दिवस में किया किया जायेगा। दुर्घटना द्वारा मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र के अलावा एफ0आई0आर0 (F.I.R.), पुलिस जाँच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अपंगता हित-लाभ का दावा करने के लिये दुर्घटना का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र तथा सरकारी सिविल सर्जन/सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाण-पत्र जिसमें दुर्घटना के कारण हुई बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि का सम्पूर्ण/आंशिक अपंगता का विवरण हो, को भी जोड़ा जाना चाहिये।

दुर्घटना से हुई मृत्यु/अपंगता का दावा दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर ही होनी चाहिए। शारीरिक आघात तीव्र, वाह्यरूपी एवं दृष्टिदर्शन हो और दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारणों से न हो।

**(ख) छात्रवृत्ति दावा भुगतान प्रक्रिया :-**

1-शिक्षा सहयोग योजना (भारत सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति देय होगी)।

2-नोडल एजेंसी विद्यार्थियों की पहचान करेगी। बीमित सदस्य, जिनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिये योग्य होंगे, उन्हें एक आवेदन पत्र भरकर नोडल एजेंसी के पास जमा करना होगा। नोडल एजेंसी ऐसे लाभार्थी विद्यार्थियों की सूची भा0जी0बी0 निगम (एल0आई0सी0) की जिला स्तर पर अधिकृत शाखा को सम्पूर्ण विवरण के साथ जमा करायेगी, जिसमें विद्यार्थी का नाम, पाठशाला का नाम, सदस्य का नाम, मास्टर पालिसी नम्बर, सदस्यता नम्बर आदि जैसी बाते शामिल होंगी।

3-हर 6 महीने में एल0आई0सी0 नोडल एजेंसी के नाम का एक एकाउण्ट पेयी चेक विद्यार्थियों के नाम की सूची के साथ देगी। इस रकम को नोडल एजेंसी योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को भुगतान करेगी। अगली छमाही के लिये छात्रवृत्ति के लिये दावा करने से पहले छात्रवृत्ति के इस्तेमाल सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

**(v)-बीमित सदस्य/परिवार का हित लाभ/चेकों का वितरण :-**

दावों (Claim) से संबंधित तहसीलदार से प्राप्त चेक का वितरण तहसील दिवस में बीमित सदस्य/नामिनी को किया जायेगा। तहसील दिवस में जो चेक वितरण से रह जायेंगे, वह उसके निवास पर उन्हें उपलब्ध करायेंगे। वितरण से पूर्व लेखपाल

द्वारा रखे गये स्थायी रजिस्टर में बीमित सदस्य के सम्मुख चेक संख्या एवं धनराशि अंकित किया जायेगा तथा वितरण के पश्चात् तहसीलदार का सतिथि हस्ताक्षर एवं उनके पठनीय नाम अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित संलग्नक प्रपत्र परिशिष्ट— XI छात्रवृत्ति से संबंधित वितरण/उपभोग प्रमाण-पत्र पूर्ण करके रखा जायेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित तहसील में सुरक्षित रखने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(vi) बीमित सदस्य का नाम हटाने एवं नये मुखिया सदस्य का**

**नाम बढ़ाया जाना :-**(क) लेखपाल द्वारा ग्राम स्तर पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे ग्रामीण भूमिहीन नवसृजित परिवार का मुखिया सदस्य, जो योजना की पात्रता पूरी करता हो, नये मुखिया सदस्य को आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बीमा हेतु चिन्हांकित किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) लेखपाल द्वारा ऐसे बीमित मुखिया सदस्य जो 59 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा जिन्होंने भूमि कय कर ली हो या बतौर उत्तराधिकार से भूमि प्राप्त कर लिये हों अथवा अन्य श्रोतों से भूमि प्राप्त कर ली हो या मृत्यु हो गयी हो या योजना के पात्रता की परिधि में न आता हो, उनका नाम स्थायी रजिस्टर से पृथक करते हुए इसकी सूचना पूर्ण विवरण सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने हेतु तहसीलदार को उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि शासन को अगले वित्तीय वर्ष में इनके नवीनीकरण में वित्तीय प्रीमियम का भुगतान न करना पड़े। इसकी सूची संबंधित लेखपाल के पास अभिलेखों में हमेशा के लिए रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित ग्राम प्रधान को दी जायेगी, ताकि समय-समय पर अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान इसका भी सत्यापन किया जा सकें।

**आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट का परिषद को भेजा जाना :-**

आम आदमी बीमा योजना से संबंधित चिन्हांकित ग्रामीण भूमिहीन परिवार के पात्र मुखिया सदस्यों के बीमा एवं हित लाभ/दावों के भुगतान से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजी गयी सूचना एवं सी0डी0 परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उक्त विषयक आंकड़ों संबंधित सूचना जनपद स्तर पर उपलब्ध "रेवेन्यू साफ्ट" पर फीड कर अद्यावधिक किया जायेगा तथा निम्नलिखित प्रपत्र-1 एवं 2 पर हस्ताक्षरयुक्त त्रुटिरहित सही सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।



**प्रपत्र-1**

**आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत शासन/परिषद को भेजने संबंधी प्रगति विवरण :-**


जनपद का नाम				माह का नाम			
क्र० सं०	योजना के अन्तर्गत विगत माह तक चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की कुल संख्या	योजना के अन्तर्गत माह में चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की संख्या	योजना के अन्तर्गत चयनित/पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों की कुल संख्या (कालम 2 एवं 3 का योग)	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा हेतु पात्र मुखिया सदस्यों के नाम की सूची/सी0डी0 भेजने की कुल संख्या	कालम-5 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितने पात्र परिवारों के मुखिया सदस्यों को बीमा पालिसी उपलब्ध करायी गयी, की कुल संख्या	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपात्रता के कारण निरस्त की गयी कुल संख्या	कालम-4 के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा पालिसी जारी करने हेतु अवशेष मुखिया सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

**प्रपत्र-2**

**आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत हित लाभ/दावे से संबंधित शासन/परिषद को भेजने संबंधी प्रगति विवरण :-**

जनपद का नाम						माह का नाम					
क्र० सं०	वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विचारा धीन दावे की संख्या	वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत दावे की संख्या	कुल दावे कालम 3 एवं 4 का योग	वित्तीय वर्ष में कुल निस्तारित दावे की संख्या	विचारा धीन दावे की कुल संख्या	निरस्त दावे की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष में भुगतान की गयी कुल धनराशि	योजना के प्रारम्भ से कमिक रूप से निस्तारित दावे की संख्या	योजना के प्रारम्भ से कमिक रूप से भुगतान की गयी कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मृत्यु दावे										
	दुर्घटना मृत्यु दावे										
	विकलांगता सम्बन्धी दावे										
	छात्रवृत्ति										


कृपया उपरोक्तानुसार आम आदमी बीमा योजना का — ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर पर तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

  
( संजीव दूबे )  
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस पत्र की प्रति मय संलग्नकों सहित अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए "आम आदमी बीमा योजना" का अपने स्तर से भी नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।
- 3- जोनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, 16/98, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर।
- 4- मण्डल प्रबन्धक (पे0 एण्ड जी0एस0), भारतीय जीवन बीमा निगम, 30 हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से  
  
( विजय कुमार यादव )  
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।



परिशिष्ट-V

भारतीय जीवन बीमा निगम

आम आदमी बीमा योजना

मास्टर पालिसी संख्या आ0आ0बी0यो0 /

दावा प्रपत्र

(Claim Form)

भाग-अ (लाभार्थी द्वारा पूर्ण किया जाना है)

1. मृतक सदस्य का नाम व पता :

2. नोडल एजेंसी का नाम व पता :

3. सदस्यता संख्या :

4. योजना में प्रवेश की तिथि :

5. पिता/पति का नाम :

6- (अ) मृत्यु की तिथि :

(ब) मृत्यु की तिथि पर आयु :

7- (अ) मृत्यु का स्थान :

(ब) मृत्यु का कारण :

8. नामित व्यक्ति का नाम :

9. नामित व्यक्ति का पूर्ण पता :

10. बीमित सदस्य के साथ सम्बन्ध :

11. बैंक का नाम व पता और बचत बैंक खाता संख्या

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूपेण सत्य हैं ।

साक्षी: हस्ताक्षर

नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

**भाग-ब : (नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण किया जाना है)**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूपेण सही हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मृतक जिला ..... राज्य.....का निवासी था, जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष की थी और आम आदमी बीमा योजना का सदस्य था । प्रमाणित है कि लाभार्थी का विवरण सत्यापित है ।

मोहर

नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक  
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

**भाग-स :**

**प्राप्ति रसीद**

हम.....एतद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से उपरोक्त मास्टर पालिसी के अन्तर्गत सदस्य के जीवन पर देय सभी दावों के पूर्ण, संतोषप्रद एवं अन्तिम रूप से ₹0 .....(शब्दों में ..... ) की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हैं ।

दिनांकित स्थान.....दिवस.....माह.....सन् 20.....

मोहर

रसीदी टिकट  
नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक  
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

**भाग-द :**

कृपया दावा राशि का भुगतान लाभार्थी के बचत बैंक खाता संख्या .....में जमा करने हेतु चेक द्वारा बैंक को प्रेषित करें ।

बैंक का नाम एवं पता.....

मोहर

नोडल एजेंसी / मास्टर पालिसी धारक  
के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर



भारतीय जीवन बीमा निगम  
पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई

परिशिष्ट-IX

**आम आदमी बीमा योजना**

पालिसी संख्या/समूह बीमा / आ०आ०बी०यो०.....  
(Policy No. GI/AABY/ )

**छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रपत्र  
(APPLICATION FOR SCHOLARSHIP)**

**1. सदस्य द्वारा भरा जाना है**

अ. आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत सदस्य का नाम :

ब. सदस्यता संख्या :

स. पता :

द. छात्र का नाम :

य. पुत्र या पुत्री :

र. स्कूल/संस्थान का नाम व स्थान :

ल. छात्र की जन्मतिथि :

व. कक्षा :

शैक्षणिक वर्ष:

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने यह पूर्णरूप से समझ लिया है कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ एक परिवार के दो बच्चों तक ही सीमित है और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के पाठ्यक्रम भी शामिल है) अध्ययनरत छात्रों को ही देय है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरा बच्चा गत शैक्षणिक वर्ष में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है।

सदस्य के हस्ताक्षर

## 2. विद्यालय/संस्थान द्वारा भरा जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे का उपर्युक्त दिया गया विवरण स्कूल/संस्थान के अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

.....  
स्कूल/संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरी  
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मोहर सहित

## 3. नोडल एजेंसी द्वारा भरा जाना है

1. नोडल एजेंसी का नाम:
2. पता:
3. योजना प्रारम्भ की तिथि/  
योजना नवीनीकरण की तिथि

हम एतद्वारा यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध छात्रवृत्ति हितलाभ उपर्युक्त लाभार्थी को उपलब्ध करायेंगे और प्रारूप-XI के अनुसार उपभोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेंगे ।

नोडल एजेंसी की मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर



परिशिष्ट-X

**भारतीय जीवन बीमा निगम**  
**पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई**

मास्टर पालिसी संख्या : .....

आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु अर्ह्य छात्रों की सूची

List of Students eligible for Scholarship under Aam Admi Bima Yojana

(नोडल एजेंसी द्वारा पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई को प्रस्तुत किया जाना है)

क्रमांक	छात्र का नाम	संस्था/स्कूल का नाम	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	सदस्य का नाम	सदस्यता संख्या	वर्ष/छमाही समाप्ति के लिए	धनराशि जो भुगतान की जानी है
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

तिथि..... मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर



## आम आदमी बीमा योजना

परिशिष्ट-XI

### वितरण / उपभोग प्रमाणपत्र (Certificate of Utilisation)

मास्टर पालिसी संख्या : .....

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम से चेक संख्या ..... दिनांक ..... वास्ते रु० ..... (शब्दों में रूपये.....) द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति निम्न छात्रों को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार वितरित कर दी गयी है ।

क्र.सं.	छात्रों के नाम	कक्षा	संस्थान / स्कूल का नाम	राशि	वितरण की तिथि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

तिथि..... मोहर

नोडल एजेंसी के अधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर



प्रेषक,  
बी० एल० मीणा,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन  
सेवामें,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2011


विषय:- शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण किया जाना।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 936/26-3-2011-4(188)/93, दिनांक 17.03.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि लाभार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने, उक्त योजना से संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाने इत्यादि के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन को लेकर शासन में अनेक शिकायतें विभिन्न जनपदों से प्राप्त हो रही हैं, जिसमें जनपदों में आवेदन पत्रों के लम्बित रहने, उनका समय से निस्तारण न होने तथा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित न किये जाने के संबंध में है।

3- आप अवगत है कि शादी/बीमारी अनुदान योजना समाज के निर्धन वर्ग के लिये चलायी जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में संबंधित व्यक्ति को शासन की ओर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उक्त धनराशि लाभार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध करा दी जाय, क्योंकि शादी तथा बीमारी दोनों मामलों में धनराशि का समय से मिल जाना महत्वपूर्ण होता है।

4- अतः इस संबंध में मुझे पुनः आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के सुचारु संचालन हेतु विशेष ध्यान देते हुए लम्बित आवेदन पत्रों का तत्काल निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
( बी० एल० मीणा )  
सचिव

संख्या-2715(1)/26-3-2011 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु

प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निदेशक, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
- 5- वेबमास्टर, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

( शशि कमल गोस्वामी )  
अनु सचिव

एस० पी० भोयल  
आई.ए.एस.  
परियोजना निदेशक

उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी  
ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010



अर्धशा.प. सं. : एड्स सोसा0/GIPA/  
Treatment & Care/100493-b0563  
दूरभाष : 2721871, 2720360, 2720361 (Dir.)  
फैक्स : 0522-2721135  
ई-मेल : spgoyal@nic.in

दिनांक 21-4-2010

प्रिय महोदय,

माननीय राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसुनवाई आयोजित की गई थी। माननीय आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित अथवा प्रभावित परिवारों को बी.पी.एल.कार्ड का लाभ प्राथमिकता के आधार पर सुगमता से मुहैया करवाया जाए एवं एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित अथवा प्रभावित विधवा महिलाओं को वरीयता के आधार पर विधवा पेन्शन का लाभ भी प्रदत्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश में लगभग 53,914 एच.आई.वी. एवं 10,858 एड्स से प्रभावित व्यक्ति चिन्हित हुए हैं; जिनमें ऐसी विधवा महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जिनका सामाजिक अथवा पारिवारिक स्तर पर कोई महत्वपूर्ण सहारा नहीं है व मात्र मजदूरी अथवा दैनिक चर्या के कार्यों द्वारा ही वे अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि जिला एड्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर जनपद स्तर के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित अथवा प्रभावित परिवारों को राशन कार्ड, बी.पी.एल.कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर सुगमता से निर्गत किए जाएं तथा एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित अथवा प्रभावित विधवा महिलाओं को वरीयता के आधार पर विधवा पेन्शन का लाभ दिया जाए जिससे कि वे शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)।

भवदीय,  
(एस. पी. भोयल) 21/4/10

# डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-मऊ



(सत्र-2009-10)

अध्यक्ष

**ओमप्रकाश वर्मा**

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

**गुलाब चन्द सोनकर**

कनिष्ठ उपाध्यक्ष

**सुधीर कुमार श्रीवास्तव**

**रईस अहमद**

साधारण उपाध्यक्ष

**संजय कुमार सिंह**

मंत्री

**ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी**

सहमंत्री-प्रशासन

**कमलेन्द्र प्रताप नारायण सिंह**

**बदरुद्दीन आलम**

सहमंत्री-लाइब्रेरी

**लक्ष्मण गुप्ता**

कोषाध्यक्ष

**सरदार दीप नारायण सिंह**

आडिटर

**सुरेश यादव**

पत्रांक :

दिनांक : 01.07.09

दिनांक 21-03-2009 के मेनस्ट्रीमिंग आफ एचआईवी एड्स परियोजना के अन्तर्गत जो कार्यशाला बार एसोसिएशन , जनपद-मऊ में संस्था सार्ड/ ऑक्सफेम /यू. एन.डी. पी. / यू. पी. सेक्स. द्वारा सम्पन्न की गयी थी वो कार्यशाला बहुत ही सराहनीय है । उपरोक्त कार्यशाला से हम सब मिलकर निर्णय लिए हैं कि कोई भी एचआईवी वा जिटिव व्यक्ति मुकदमें से सम्बन्धित आता है तो उसका मुकदमा हम सब बार एसोसिएशन , मऊ के सदस्यगण बिना शुल्क के लड़ेंगे और इसको प्राथमिकता के तौर पर प्रथम वरीयता देंगे।



डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन  
मऊ



IMMEDIATE  
BY SPEED POST

No.13(15)/2009-PD-III

Government of India  
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution  
Department of Food and Public Distribution

Krishna Bhavan, New Delhi  
Dated 3<sup>rd</sup> June, 2009

To,

The Secretary,  
Food & Civil Supplies Department,  
(All State/UT Governments)

Subject: **Extending the benefits of Antyodaya Anna Yojana (AAY) scheme under Targeted Public Distribution System (TPDS) to HIV positive persons - Regarding.**

1. I am directed to say that in order to make the TPDS more focused and targeted at the poorest of the poor, Antyodaya Anna Yojana was launched in December, 2000 for one crore families to be identified amongst the BPL families. Coverage under this scheme has been expanded thrice since then i.e. during 2003-04, 2004-05 and 2005-06, vide communications No.6(4)/2003/PD-I dated 5<sup>th</sup> June, 2003, No.6(1)/2004/PD-I dated 3<sup>rd</sup> August, 2004 and No.6(5)/2005/PD-I dated 12<sup>th</sup> May, 2005, respectively, covering additional 50 lakh households each time. As per these instructions, the Antyodaya Anna Yojana (AAY) families were to be identified from the BPL families in each State. In the said guidelines it has, inter-alia, been laid down specifically that widows or terminally ill persons or disabled persons with no assured means of subsistence or family/societal support would be eligible for coverage under AAY, provided they are in the BPL list of the concerned State/LT.

2. As the State/UT Governments may be aware, a PIL has been filed by the social activists and Persons Living with HIV/AIDS (PLHA) in the Hon'ble Supreme Court. In this regard relevant extracts of Order dated 26.3.2009, passed by the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No.535/1998, are given below :-

— "Learned counsel appearing for the petitioner stated that many of these patients are living Below the Poverty Line and so they should be provided with 'Antyodaya Anna Yojana Card' to get food supply from PDS stores and so also some of these patients have to visit the distant hospitals regularly and therefore they should be issued free passes in public transport system. We hope that HIV/AIDS patients would get the proper line of treatment".